दिनांक 02.05.2022 को
मा0 कार्यकारिणी समिति की
स्थगित बैठक, जो दिनांक
04.05.2022 दिन बुधवार को
मध्यान्ह 12:15 बजे नगर
निगम मुख्यालय स्थित
समिति कक्ष में सम्पन्न हुई,
का कार्यवृत्त

दिनांक– 04.05.2022 दिन बुद्धवार को मध्यान्ह 12.15 बजे नगर निगम मुख्यालय स्थित समिति कक्ष में सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक का कार्यवृत्त

<u>उपस्थिति</u>

1.	श्रीमती प्रमिला पाण्डेय	महापौर / सभापति
2.	श्री कैलाश पाण्डेय	पार्षद / उप सभापति
3.	श्री यशपाल सिंह	पार्षद / सदस्य
4.	श्री सौरभ देव	पार्षद / सदस्य
5.	श्री मनोज कुमार राठौर	पार्षद / सदस्य
6.	श्री अशोक पाल	पार्षद / सदस्य
7.	श्री घनश्याम गुप्ता	पार्षद / सदस्य
8.	श्रीमती निर्मला मिश्रा	पार्षद / सदस्य
9.	श्री मो0 आमिर खान	पार्षद / सदस्य
10.	श्री राजीव सेतिया	पार्षद / सदस्य
11.	श्री प्रशान्त शुक्ला	पार्षद / सदस्य
12.	श्री अभिषेक गुप्ता	पार्षद / सदस्य
13.	श्री अमित कुमार मेहरोत्रा	पार्षद / सदस्य

<u>अधिकारीगण</u>

1.	श्री शिव शरणप्पा जी0एन0	नगर आयुक्त
2.	श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी	अपर नगर आयुक्त 'प्रशासन'
3.	श्रीमती रोली गुप्ता	अपर नगर आयुक्त 'राजस्व'
4.	श्री अशोक कुमार त्रिपाठी	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
5.	डा0 अजय संख्वार	नगर स्वास्थ्य अधिकारी
6.	डा0 अमित सिंह गौर	नगर स्वास्थ्य अधिकारी
7.	डा0 चन्द्रशेखर	नगर स्वास्थ्य अधिकारी
8.	श्री एस0के0 सिंह	मुख्य अभियन्ता 'सिविल'
9.	श्री नीरज गौड़	महाप्रबन्धक 'जलकल विभाग', नगर निगम
10.	श्री राजीव कुमार सिंह	वित्त अधिकारी 'जलकल विभाग', नगर निगम
11.	श्री आर0के0 पाल	प्रभारी अधिकारी 'मार्गप्रकाश'
12.	श्री राधेश्याम पटेल	सचिव, नगर निगम

............तद्नुसार उल्लेखित नियमों एवं प्राविधानों के तहत स्वीकृत प्रदान करते हुए सदन को अग्रसारित किया गया।

सभापति ने दिनांक 04.05.2022 को सम्पन्न हुई मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के सम्बन्ध में सभी सदस्यों से अपना–अपना अभिमत व्यक्त करने के लियें **कहा।**

.... सभी सदस्यों द्वारा .दिनांक 04.05.2022 को सम्पन्न हुई मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

....

तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही का समापन हुआ।

ह0......................
(प्रमिला पाण्डेय)
महापौर / सभापति

सभापति ने सर्वप्रथम अधिकारियों / कर्मचारियों से कहा कि कार्यकारिणी समिति के मनोनीत सदस्यों से आपसी परिचय प्राप्त कर लिया जाये तत्पश्चात् नगर आयुक्त बैठक की कार्यवाही कार्यसूची के अनुसार प्रारम्भ कराये।

तद्नुक्रम में कार्यकारिणी के मनोनीत सदस्यों ने अपना–अपना परिचय दिया।

नगर आयुक्त ने कार्यकारिणी समिति की बैठक में अध्यक्षता कर रही मा0 सभापति महोदया तथा सभी सदस्यों व अधिकारियों का स्वागत करते हुये मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी को कार्यसूची के प्रस्ताव सं0–1 में अंकित नगर निगम के मूल बजट 2022–23 के मदवार आय–व्यय से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया।

<u>प्रस्ताव संख्या–388</u>

तद्नुक्रम में मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 146 में प्राविधानित नियमों के तहत वित्तीय वर्ष 2022–23 के मूल बजट में अंकित मदवार आय–व्यय से निम्नवत् अवगत कराते हुये कहा कि मा0 सभापति महोदया, मा0 उप सभापति एवं कार्यकारिणी के समस्त मा0 सदस्यगंण आप सभी के समक्ष वित्तीय वर्ष 2022–23 का मूल बजट स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है। प्रस्तुत बजट नगर आयुक्त महोदय एवं मा0 महापौर महोदया की पूर्व स्वीकृति से कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मा0 कार्यकारिणी समिति से यह अनुरोध है कि प्रस्तुत बजट प्रस्तावों पर अपना अमूल्य सहमति व स्वीकृति देते हुए मा0 सदन के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ अग्रेषित करनें का कष्ट करें।

मा0 कार्यकारिणी समिति का ध्यान नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 146 की ओर आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि अधिनियम मे प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार दिसम्बर 2021 के वास्तविक आय–व्यय के आकड़े प्रदर्शित किये जाने है। समिति अवगत ही है कि प्रदेश मे विधानसभा के आम चुनाव एवं विधान परिषद(स्थानीय निकाय) चुनावों के दृष्टिगत आचार संहिता 13 अप्रैल 2022 तक प्रभावी थी। प्रस्तावित बजट मे कुल आय रूपया 1375 करोड़ 90 लाख 57 हजार के सापेक्ष कुल प्रस्तावित व्यय रूपया रूपया 1375 करोड़ 90 लाख 57 हजार का मूल बजट तैयार कर प्रस्तुत कर विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

सर्वप्रथम नगर निगम कानपुर के आय पक्ष की ओर मा0 समिति का ध्यान आकृष्ट करते हुए यह अवगत कराना है कि आय पक्ष मे एक बहुत बड़ी धनराशि राज्य वित्त आयोग से अनुदान से प्राप्त धनराशि है। गत वित्तीय वर्ष मे दिसम्बर 2021 तक राज्य वित्त आयोग से 268.51 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई थी। शासनादेश मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार इस धनराशि का सर्वप्रथम उपयोग वेतन एवं पेंशनादि के वितरण हेतु किया जाना आवश्यक होता है। गत वर्ष राज्य सरकार के द्वारा मंहगाई भत्तों की दरों मे की गयी वृद्धि के अनुरूप नगर निगम पर अतिरिक्त वित्तीय भार उत्पन्न हो गया था। फलस्वरूप वेतन एवं पेंशनादि पर व्यय जिसे बजट प्रस्तावों मे अधिष्ठान व्यय के रूप मे अंकित किया गया है, पर व्यय राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान की राशि से सम्भव न होनें के कारण नगर निगम के संसाधनों से आहरित कर लगभग रू0–64 करोड़ का व्यय किया गया है। पन्द्रहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार नगर निगमों को भी अपने आय मे राज्य के सकल घरेलू उत्पाद मे हो रही बढ़ोत्तरी के अनुरूप बढ़ोत्तरी किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित म्युनिसिपल बाण्ड के जारी किये जानें के सम्भावना को देखते हुए भी नगर निगम की आय मे बढ़ोत्तरी के सभी प्रयास किये जाने आवश्यक हैं। फलस्वरूप आय पक्ष की स्थिति को देखते हुए करों के दायरे बढ़ाने तथा अधिनियम मे प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार कर की दरों मे वृद्धि किया जाना नगर निगम के हितों के अनुकूल प्रतीत हो रहा है।

गत वर्ष राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विकास योजनाओं पर किये जा रहे विशेष प्रयासों के अनुरूप नगर निगम द्वारा भी तद्नुसार विकास कार्य सम्पादित किये गये है। जिसके कारण विकास के मद यथा सड़क निर्माण, मार्गप्रकाश, नाला–नाली अनुरक्षण, पैंच मरम्मत तथा कूड़ा निस्तारण आदि कार्यों मे अभूतपूर्व कार्य किये

गये है। गत वर्ष के विकास कार्यों को वर्तमान वित्तीय वर्ष मे भी आगे बढ़ाये जाने की मा0 महापौर महोदया एवं नगर आयुक्त महोदय की मंशा के अनुरूप इन मदों मे नगर निगम संशाधनों के दृष्टिगत अपेक्षित बढ़ोत्तरी की गयी है।

नगर निगम निधि के अन्तर्गत प्रस्तावित बजट में आय एवं व्यय पक्ष मे प्रमुख मदों मे गत वर्ष की तुलना में किये गये प्रस्तावित संशोधन/अनुमानों का एक संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है–

		आय पक्ष	(धनराशि करोड़ में)
क्र0 सं0	मद	पुनरीक्षित बजट 21–22	प्रस्तावित बजट 22–23
1	**सम्पत्ति कर से आय**	228.81	247.12
2	**बजार किराये से आय**	0.38	1.5
3	**मलवा शुल्क से आय**	3.00	3.00
4	**नामान्तरण शुल्क से आय**	8.00	12.00
5	**विज्ञापन शुल्क/स्थल किराय**	4.00	4.00
6	**पार्किंग शुल्क से आय**	1.75	1.75
	व्यय–पक्ष		धनराशि करोड़ में
		पुनरीक्षित बजट 21–22	प्रस्तावित बजट 22–23
1	बिजली एवं ईएसएसएल पर व्यय	6.00	6.00
2	डीजल/पेट्रोल एवं गैस व्यय	39.00	39.00
3	मार्ग प्रकाश अनुरक्षण पर व्यय	1.20	1.20
4	सार्वजनिक प्रकाश, खम्बे तार एवं बल्ब आदि पर व्यय	6.00	5.00
5	कम्प्यूटर/लैपटाप/ आदि पर व्यय	0.25	1.00
6	सड़क अनुरक्षण पर व्यय	37.00	40.00
7	नाला /नाली अनुरक्षण पर व्यय	11.50	7.00 *
8	यातायात संकेत अनुरक्षण पर व्यय	1.00	1.00
9	सड़क क्षति के सापेक्ष व्यय	7.00	7.00
10	सड़क मरम्मत उद्योग बन्धु पर व्यय	16.00	8.00 *
11	पार्कों का रख–रखाव पर व्यय	6.00	5.00 *
12	वृक्षा रोपड़/हरित क्षेत्र विकास पर व्यय	0.50	1.00
13	गौशाला आवार पशुओं का रख–रखाव पर व्यय	8.00	6.00
14	आकस्मिक व्यय	2.50	10.00 #

साथ ही यह भी अवगत कराया कि_अंकित मद मे नगर निगम निधि के कार्यों को 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत कराये जाने के कारण बजट मे आंशिक कमी की गयी है तथा प्रस्तावित बजट के आकस्मिक **व्यय** मे बढ़ोत्तरी इस आशय से की गयी है, कि यथावश्यक मा0 सदन/मा0 कार्यकारिणी /मा0 महापौर/नगर

जल का केमिकल और बैक्टीरियल परीक्षण

1. आवेदक का नाम
2. पदनाम ....
3. पत्र–व्यवहार का पता
4. संस्थान का विवरण
5. वार्ड संख्या–
6. मोबाइल नं0 .... ई–मेल...
7. जल प्रयोग करने वालों की संख्या (लगभग)
8. सैम्पल प्राप्ति का दिनांक
9. जल का स्त्रोत
10. विगत में जल परीक्षण का दिनांक
11. ओवर हेड टैंक अथवा अन्डर ग्राउंट टैंक
12. टंकी की अंतिम बार सफाई का दिनांक
13. कीटाणुशोधन का दिनांक
    1. (कुऑ)
    2. स्टोरेज टैंक

आवेदक के हस्ताक्षर

<u>प्राप्ति रसीद</u>

सैम्पल संख्या : दिनांक :

1. आवेदक का नाम
2. पदनाम
3. पत्र–व्यवहार का पता
4. संस्थान का विवरण
5. वार्ड संख्या–
6. मोबाइल नं0 .... ई–मेल...
7. **प्राप्त जल परीक्षण शुल्क (अंको में)** ....
   (शब्दों में) ....

(सैम्पल प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर/मुहर)

(2) नगर आयुक्त अथवा नामित अधिकारी लोकहित में अनुज्ञप्ति कभी भी निरस्त कर सकेंगे, निर्गत अनुज्ञप्ति उसी अवधि के लिये मान्य होगी। जिस अवधि के लिये जारी होगी।

(3) पानी की गुणवत्ता बनाये रखने का दायित्व अनुज्ञप्ति धारक का होगा।

(4) नगर आयुक्त अथवा नामित अधिकारी कभी–भी जल– सम्भरण का औचक निरीक्षण कर सकते है।

(5) निरीक्षण उपरान्त निर्धारित मानक के विपरीत पाये जाने जुर्माना देय होगा, जो प्रथम बार में अधिकतम रू0 10000/– एवं द्वितीय बार में इससे अधिक बार पाये जाने पर रू0 20,000/– तक हो सकता है, इसके उपरान्त पर लाइसेंस रद्द किये जाने सम्बन्धी विधिक कार्यवाही की जायेगीं ।

7– अनुज्ञा की अवधि

(1) अनुज्ञा की अवधि एक वर्ष की होगी।

(2) प्रतिवर्ष नवीनीकरण भी कराना होगा।

8– अनुरक्षण एवं विधि

(1) जल सम्भरण पात्र (टंकी) को त्रैमासिक साफ–सफाई करानी होगी।

(2) नगर आयुक्त द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधानित अधिकारी/कर्मचारी को कम–से–कम एक बार सम्बन्धित संस्थान के पेयजल की जॉच का अधिकार होगा।

9– अपराधों के लिये दण्ड

1. जल–परीक्षण का नवीनीकरण न कराने पर वार्षिक शुल्क का दो–गुना जुर्माना देय होगा।

10–स्पष्टीकरण

1. किसी भी. विवाद की स्थिति में महापौर/नगर आयुक्त को निर्णय लेने का अधिकार होगा तथा उनके द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा
2. नगर निगम सीमान्तर्गत पूर्व में कानपुर नगर निगम द्वारा जारी जल संरक्षण/जल लाइसेंस सम्बन्धी जारी सभी उपविधियों तथा दरों को निरस्त किया जाता है।

आवेदन का प्रारूप
कानपुर नगर निगम
(नगर स्वास्थ्य अधिकारी)
नियम–5 के अनुसार

सैम्पल संख्या : दिनांक :

आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार अन्य आवश्यक व्यय वित्तीय वर्ष मे किये जा सके। मा0कार्यकारिणी समिति के समक्ष इस बिन्दु को रेखांकित करना आवश्यक है कि प्रस्तुत बजट प्रस्ताव नगर निगम की अनुमानित आय के दृष्टिगत है।

नगर निगम कानपुर

आय

(धनराशि लाख में)

Account Code	Account Head	लेखा शीर्षक	लेखा मद	पृष्ठ संख्या	वास्तविक आय 2020–21	पुनरीक्षित धनराशि 2021–22	वास्तविक आय दिसम्बर 2021 तक	प्रस्तावित धनराशि 2022–23
	Revenue Income		राजस्व आय	-				
1101	Tax Revenue	1101	करो से आय	3	17128.94	22881.50	10922.66	24712.50
1301	Rental Income from Properties	1301	नगरीय सम्पत्तियों के किराये से आय	3	177.59	166.00	224.30	283.00
1401	Fees & User Charges	1401	शुल्को से आय	3-4	1639.34	2816.55	1794.88	3146.05
1501	Sale & Hire Charges	1501	बिक्री एवं भाडे से आय	5	56.01	127.55	49.08	107.65
1701	Income from Investments	1701	विनियोगो से आय	5	0.00	0.20	0.00	0.20
1801	Income from Interest	1801	ब्याज से आय	5	519.02	602.60	331.18	602.60
1901	Other Income	1901	अन्य आय	5	572.41	563.30	469.54	728.30
1601	Revenue Grants & Contribution	1601	राजस्व अनुदान एवं अंशदान	6	37463.72	39630.20	27374.68	39580.20
	TOTAL -(A)		योग (अ)	**6**	**57557.03**	**66787.90**	**41166.32**	**69160.50**
	Capital Income		पूँजीगत आय	-				
3111	Earmarked Funds	3111	कार्य विशेष निधियॉं	-				
3111	Finance Commission: Forteenth/Fifteen	;ksx ¼[k½	वित्त आयोग : चौदहवॉं/पन्द्रहवॉं	6	22612.22	23000.00	8044.96	23300.00
3111	Special Fund: Infrastructure Fund:	3111	अवस्थापना निधि	6	210.32	3500.00	1920.32	2750.00
3111	Other Earmarked Fund	3111	अन्य कार्यविशेष निधियॉं	6	945.23	2086.00	773.99	2066.00
3301	Secured Loans/Unsecured Loans	3301	सुरक्षित ऋण/असुरक्षित ऋण	7	0.00	0.40	0.00	0.40
	TOTAL -B-		योग (ब)	**7**	**23767.77**	**28586.40**	**10739.28**	**28116.40**
	TOTAL (A+B)		योग (अ+ब)	**7**	**81324.80**	**95374.30**	**51905.60**	**97276.90**
	Reserve Fund (JNNURM)		रिजर्व फण्ड (जे0एन0एन0यू0आर0एम0/अमृत)					
3311	Unsecured Loans	3311	राज्य सरकार परिकमि निधि ऋण (रिवालविंग फण्ड)	7	0.00	0.10	0.00	0.10
3111	JNNURM Scheme	3111	जे.एन.एन.यू.आर. एम/अमृत योजना	7	160.19	600.00	137.55	600.00

			प्राप्तियाँ					
	TOTAL -C-		योग (स)	7	160.19	600.10	137.55	600.10
	Total Revenue, Capital & JNNURM/Amrut Income A +B+ C		कुल राजस्व,पूँजीगत एवं जेएनएनयूआरएम / अमृत आय (अ+ब+स)	7	81484.98	95974.40	52043.15	97877.00
4502	Opening Balance	4502	प्रारम्भिक अवशेष:–	7	41206.05	48331.82	48060.00	39713.57
	Grand Total		महायोग	7	122691.03	144306.22	100103.14	137590.57

व्यय

(धनराशि लाख में)

Acco unt Code	Account Head	लेखा शीर्षक	लेखा मद	पृष्ठ संख्या	वास्तविक व्यय 2020–21	पुनरीक्षित धनराशि 2021–22	वास्तविक व्यय दिसम्बर 2021 तक	प्रस्तावित धनराशि 2022–23
	Revenue Expenses		राजस्व व्यय	-				
2101	Establishment Expenses	2101	अधिष्ठान व्यय	8	41902.64	49561.10	32400.11	53561.10
2201	Administrative Expenses	2201	प्रशासनिक व्यय	8-9	2103.68	2978.95	1926.19	3345.25
2301	Operation & Maintenance	2301	अभियन्त्रण एवं अनुरक्षण	9-11	11350.94	17840.60	12564.14	15900.50
2401	Interest & Financial Charge	2401	ब्याज एवं वित्तीय शुल्क	11	612.01	754.50	0.19	754.50
4101	Fixed Assets	4101	स्थाई सम्पत्तियाँ	11-12	524.53	1082.50	606.62	1002.50
	TOTAL -D-		योग (द)	12	56493.79	72217.65	47497.26	74563.85
	Capital expenses		पूँजीगत व्यय					
3111	Earmarked Fund	3111	कार्य विशेष निधियाँ	-				
3111	Finance Commission: Forteenth/Fifteen	3111	वित्त आयोग : चौदहवाँ / पन्द्रहवाँ	13	12402.05	25100.00	3790.04	25100.00
3111	Infrastructure Fund	3111	अवस्थापना निधि	13	329.97	3500.00	359.46	3500.00
3111	Other Earmarked Fund	3111	अन्य कार्यविशेष निधियाँ	13	1468.97	2651.00	874.90	2691.00
3301	Secured Loans/Unsecured Loans	3301	सुरक्षित ऋण / असुरक्षित ऋण	14	0.00	4.00	0.00	4.00
	Total -E-		योग (य)	14	14200.99	31255.00	5024.40	31295.00
	Total -(D+E)		योग (द+य)	14	70694.78	103472.65	52521.66	105858.85
	Reserve Fund (JNNURM)		रिजर्व फण्ड (जे0एन0एन0यू0आर0एम0 / अमृत)					

3. गेस्ट हाउस / बारातशाला / बैक्वेट हॉल / कल्याण मंडप / सामुदायिक, जिम तथा क्रीड़ा केन्द्र, शैक्षिक संस्थान, पेट्रोल पम्प / गैस एजेन्सी ऑफिस / डिपो एवं नगर निगम अधिनियम की धारा 438 से आच्छादित जल सम्भरण पात्र (टंकी) का छाया–चित्र (फोटो) संलग्न करना होगा। जल–परीक्षण कानपुर नगर निगम की जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला (स्वास्थ्य विभाग) में कानपुर शहर के सभी विद्यालयों, प्रतिष्ठानों, फैक्ट्रियो तथा उन सभी स्थानों का जहां 20 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उनके पेयजल का परीक्षण किया जाता है जिसमें रासायनिक एवं जीवाणु परीक्षण सम्मिलित है।

4. जल– परीक्षण में आई0आई0टी0, कानपुर के मानक के अनुसार माप–दण्डो का विवरण निम्नवत है :–

S. no.	Parameter	Drinking water IS 10500 : 2012	
		Permissible Limit	Maximum Limit
1	Odour	Agreeable	Agreeable
2	Taste	Agreeable	Agreeable
3	pH	6.5 to 8.5	No relaxation
4	TDS (mg/l)	500	2000
5	Hardness(as CaCO3) (mg/l)	200	600
6	Alkalinity (as CaCO3) (mg/l)	200	600
7	Nitrate (mg/l)	45	No relaxation
8	Sulfate (mg/l)	200	400
9	Fluoride (mg/l)	1	1.5
10	Chloride (mg/l)	250	1000
11	Tubidity (NTU)	5	10
12	Arsenic (mg/l)	0.01	0.05
13	Copper (mg/l)	0.05	1.5
14	Cadmium (mg/l)	0.003	No relaxation
15	Chromium (mg/l)	0.05	No relaxation
16	Lead (mg/l)	0.01	No relaxation
17	Iron (mg/l)	0.3	No relaxation
18	Zink (mg/l)	5	15
19	Fecal Coliform (cfu)	0	0
20	E.coli (cfu)	0	0

6– अनुज्ञा प्राप्ति की शर्त

(1) अपरिवर्तनीय होगी, जिस व्यक्ति / संस्था को अनुज्ञा निर्गत / दी गयी हो, उसी के लिये मान्य होगी। किसी भी स्थिति में परिवर्तनीय नहीं होगी।

(2) ''सबर्सिबल, नलकूप, मिनी नलकूप, ट्यूबवेल'' से तात्पर्य है, जहाँ से पेयजल अथवा किसी अन्य प्रयोजन से जल का सम्भरण व्यावसायिक उपयोग हेतु किया जाता है।

(3) ''जल सम्बन्ध'' में निम्नलिखित सम्मिलित है–

(क) ''टंकी'' का तात्पर्य जहाँ जल का भंडारण किया जाता हो।

(ख) जल कुण्ड, पानी निकालने का बम्बा अथवा नल जो किसी निजी सम्पत्ति पर स्थिर हो ।

(ख) पानी का पाइप जो उक्त टंकी, जलकुण्ड, पानी निकालने के बम्बे, बम्बे मीटर अथवा नल को उपर्युक्त जल–प्रणाली अथवा पाइप से मिलाता हो।

(4) ''जलमार्ग'' से तात्पर्य कोई नदी, सोता, अथवा गूल है चाहे वह प्राकृतिक अथवा कृत्रिम हो।

(5) ''गेस्ट हाउस / बारातशाला / बैक्वेट हॉल / कल्याण मंडप / सामुदायिक भवन'' का तात्पर्य जहाँ सामूहिक रूप से कार्यक्रम / सभा का आयोजन किया जाता हो।

(6) जिम तथा क्रीड़ा केन्द्र, जहाँ पर शारीरिक स्वास्थ्य का अभ्यास किया जाता है।

(7) शैक्षिक संस्थान जहाँ छात्र / छात्रायें विद्या अध्ययन करते है।

(8) पेट्रोल पम्प / गैस एजेन्सी ऑफिस / डिपो जहाँ जनता हेतु पानी की व्यवस्था की जाती है।

4– प्रतिषेध –

(1) कोई भी व्यक्ति, संगठन, कम्पनी, होटल, जलपान गृह, बारातशाला,पंजीकृत अथवा अपंजीकृत संस्था, फैक्टरी संचालक आदि निजी एवं व्यावसायिक संस्थायें इस नियमावली के अधीन नगर आयुक्त अथवा उनके द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारी द्वारा जारी जल–परीक्षण प्रमाण–पत्र के बिना जल का व्यावसायिक उपयोग नहीं करेगा।

(2) नगर निगम द्वारा जारी जल–परीक्षण प्रमाण–पत्र के बिना व्यावसायिक हेतु उपयोग पाये जाने पर अर्थदण्ड देय होगा।

5– अनुज्ञा प्राप्ति की प्रक्रिया –

1. जल–परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु रू0 100 का आवेदन फार्म नगर निगम स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त होगा । नगर निगम द्वारा आवेदन में निर्दिष्ट स्थल पर जल की जॉच हेतु सैम्पल एकत्र करने जाने पर नगर निगम में रू0 500 यात्रा शुल्क जमा करना होगा।

2. जल –परीक्षण का केमिकल व वैक्टीरियो लाजिकल टेस्ट शुल्क रू0 **4500** होगा।

3112	ULB Share transfer (JNNURM)	3112	निकाय अंश हस्तान्तरण	14	0.00	100.00	0.00	100.00
4604	JNNURM Scheme Advance & Expenses, etc.	4604	जे.एन.एन.यू.आर. एम / अमृत योजना अग्रिम / व्यय आदि	14	-53.83	1020.00	76.91	1020.00
	TOTAL -F-		**योग (र)**	**14**	**-53.83**	**1120.00**	**76.91**	**1120.00**
	Total Revenue, Capital & Reserve Fund Expenses (D+E+F)		**कुल राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय (द+य+र)**	**14**	**70640.94**	**104592.65**	**52598.57**	**106978.85**
3401	Less :- Outstanding dues / Suspenses	;ksx ¼x½	घटायें :– देयतायें / उचन्त खाते	14	-3841.35	0.00	11925.17	0.00
	Net Revenue & Capital Expenses		**शुद्ध राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय**	**14**	**74482.29**	**104592.65**	**40673.41**	**106978.85**
4502	Closing Balance	4502	अन्तिम अवशेष :–	14	48208.74	39713.57	59429.74	30611.72
	Grand Total		**महायोग**	**14**	**122691.03**	**144306.22**	**100103.14**	**137590.57**

उपरोक्त के आधार पर नगर निगम कानपुर का मूल बजट वित्तीय वर्ष 2022–23 मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। कृपया विचारोपरान्त अनुमोदन देनें की कृपा की जाये।

श्री अभिषेक गुप्ता ने कहा कि विज्ञापन के सम्बन्ध में हम कुछ सदस्य तत्समय की गठित समिति में रह चुके है। यह अवगत कराया जाये कि विज्ञापन मद में कितनी धनराशि दर्शायी गयी है।

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने सदस्यों को अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में रू0 96.00 लाख विज्ञापन मद में प्राप्त हुये थे। तत्सापेक्ष इस बजट में रू0 4.00 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है, जिसे पुनरीक्षित भी किया जा सकेगा।

..................**सर्वसम्मति से वित्तीय वर्ष 2022–2023 के नगर निगम के मूल बजट आय पक्ष में दर्शायी गयी धनराशि रू0 97877.00 लाख एवं प्रारम्भिक अवशेष रू0 39713.57 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 137590.57 लाख तथा व्यय पक्ष में धनांक रू0 106978.85 लाख एवं अन्तिम अवशेष रू0 30611.72 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 137590.57 लाख को स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया ।**

<u>प्रस्ताव संख्या–389</u>

<u>मूल बजट 2022–23</u>

नगर आयुक्त ने महाप्रबन्धक 'जलकल' को जलकल विभाग के मूल बजट 2022–23 के आय–व्यय से सदस्यों को अवगत कराने हेतु निर्देश दिये।

तदनुक्रम में वित्त अधिकारी 'जलकल' ने नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 146 में प्राविधानित नियमों के तहत वित्तीय वर्ष 2022–23 के मूल बजट में अंकित मदवार आय–व्यय से निम्नवत् अवगत कराते हुये कहा

कि जलकल विभाग की राजस्व आय जलकर, सीवर कर एवं न्यूनतम प्रभार पर आधारित है। इन मदों में प्राप्त राजस्व आय से ही नगर की जलापूर्ति एवं सीवर व्यवस्था से आच्छादित वार्डों का संचालन व रख–रखाव किया जाता है। प्राप्त राजस्व आय से कर्मचारियों के वेतन/पेंशन का भुगतान कर शेष प्राप्त राजस्व आय को आवश्यक सेवाओं के संचालन एवं रख–रखाव मद पर व्यय किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के प्रस्तावित बजट में संचालन आय रू0 190.23 करोड़ का प्राविधान किया गया है जो कि विगत वर्ष के रू0 173.30 करोड़ से रू0 16.93 करोड़ अधिक है। संचालन व्यय जिसमें अधिष्ठान व्यय, पूर्तियां, रख–रखाव एवं अन्य व्यय सम्मिलित है में. रू0 172.23 करोड़ का प्रविधान किया गया है जो विगत वर्ष रू0 159.84 करोड़ से रू0 12.39 करोड़ अधिक है। संचालन व्यय के अन्तर्गत मदवार प्राविधानित व्यय का विवरण बजट पृष्ठ सं0 3, 4, 5, 6 पर है।

असंचालन आय में पन्द्रहवॉ वित्त आयोग, के0डी0ए0 फण्ड एवं अवस्थापना निधि से रू0 54.59 करोड़ तथा विद्युत व्यय हेतु शासकीय अनुदानं रू0 42.00 करोड़ सहित कुल धनराशि रू0 96.59 करोड़ का प्राविधान किया गया है। असंचालन व्यय के मद में रू 96.59 करोड़ का प्राविधान किया गया है जिसका विवरण पृष्ठ संख्या–02 पर है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 का मदवार बजट प्रस्ताव कुल आय रू0 286.73 करोड़ एवं व्यय रू0 268.73 करोड़ का स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

जलकल विभाग नगर निगम कानपुर

प्रस्तावित वार्षिक बजट वर्ष 2022–23

(रू0 लाख में)

लेखा कोड	कम सं0	मद विवरण	वास्तविक आय 2020–21	प्रस्तावित आय 2021–22	वास्तविक आय दिसम्बर, 2021	प्रस्तावित आय 2022–23
	क	राजस्व आय –				
1100201		जलकर	7131.00	8500.00	4552.11	8650.00
1501011		अतिरिक्त जलमूल्य/न्यूनतम प्रभार	1790.17	2720.00	758.63	2810.00
1100301		सीवर कर एवं न्यूनतम प्रभार	2590.70	3520.00	1370.71	3750.00
1408002		अन्य प्राप्तियॉ	25.63	30.00	18.76	31.00
1408001		अधिभार	12.56	20.00	8.76	25.00
1401502		नियमितीकरण	6.40	20.00	5.60	22.00
1401401		विकास शुल्क	55.41	120.00	9.76	135.00
		अनुदान (पंचम राज्य वित्त आयोग)	3534.36	2400.00	2700.00	3600.00
		के0एन0एन0 (सामान्य निधि0)	100.00	0.00	100.00	0.00
		योग राजस्व –	**15246.23**	**17330.00**	**9524.33**	**19023.00**
	ख	असंचालन आय–				
3111301		डिपाजिट कार्य				
	1	सांसद/विधायक निधि	47.43	100.00	351.83	400.00
	2	अवस्थापना निधि	0.00	200.00	0.00	100.00
	3	के0एन0एन0 योजना	31.86	0.00	0.00	50.00

की किल्लत है। कृप्या मैं आपसे ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूँ कि उक्त स्थान पर पानी का ए0टी0एम0 होना अति आवश्यक है। इस क्षेत्र में न ही पानी का कोई ए0टी0एम0 और न ही कोई हैण्डपम्प है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त पर पानी का ए0टी0एम0 स्वीकृत करने का आदेश पारित करें। आपकी महान दया होगी।

...........प्रस्ताव संख्या– 407 में निर्णय लिया जा चुका है।

टेबुल प्रस्ताव संख्या– 479

नगर आयुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया जाना

कानपुर नगर निगम में स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत जल परीक्षण प्रयोगशाला है, किन्तु नगर निगम की अपनी कोई नियमावली न होने के कारण गेस्ट हाउस, बारातशाला, बैक्वेट हॉल, सामुदायिक भवन, होटल, जिम, शैक्षिक संस्थानों, फैक्टरी, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी अथवा अन्य व्यावसायिक स्थल में जहॉ जनता हेतु पानी का व्यवस्था की जाती है, के स्थलों पर जल की जॉच हेतु अधिकार नहीं है। तत्सम्बन्ध में नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा धारा 114 की उपधारा 17, 271 (2), 541 (20) (21), के अन्तर्गत नगर निगम कानपुर द्वारा नागरिकों को "शुद्ध पेयजल संरक्षण एवं सम्भरण नियमावली 2022" जो उपविधि 2022 कही जायेगी, तैयार की गयी है। इसे दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे।

अतएव उक्त नियमावली मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृत्यर्थ प्रेषित है।

नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 114 की उपधारा 17, 271 (2), 541 (20) (21), के अन्तर्गत नगर निगम कानपुर द्वारा नागरिकों को "शुद्ध पेयजल संरक्षण एवं सम्भरण नियमावली 2022" उपविधि 2022 कही जायेगी। इसे दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे।

उपविधि

01–संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ

(1) यह उपविधि नगर निगम, कानपुर की "शुद्ध पेयजल संरक्षण एवं सम्भरण नियमावली 2022"' कहलायेगी।

(2) यह उपविधि गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

02–लागू होना : ये उपविधि नगर निगम कानपुर के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में समान रूप से प्रभावशील होगी, इसमें जलकल संस्थान भी सम्मिलित है।

3– परिभाषाएं –

(1) अधिनियम से तात्पर्य नगर निगम अधिनियम 1959 से है।

सोटे वाले बाबा मन्दिर से लेकर सामाजिक वानिकी प्रशिक्षण केन्द्र तक फूड जोन बनाकर यूजर चार्ज (जो कि 5 रू0 से लेकर 25 रू0 प्रतिदिन है) वसूला जाये तो नगर निगम की आय बढ़ेगी व फूड जोन से व्यवस्था भी ठीक रहेगी उक्त प्रस्ताव पास कराया जाना नगर निगम की आय बढ़ोत्तरी के लिये आवश्यक है।

..............तद्नुसार नियमानुसार कार्यवाही कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

टेबुल प्रस्ताव संख्या– 476

मो0 आमिर खान, पार्षद, वार्ड–59 द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित प्रस्ताव पर विचार किया जाना

विषय : जोन–4 वार्ड–59 नगर निगम कब्रिस्तान में लाईट व्यवस्था/पेयजल व्यवस्था/जंगल सफाई /टूटा गेट/ अवैध कब्जा एवं अराजक तत्व द्वारा आग लगाना आदि के सम्बन्ध में।

सादर अवगत कराना है कि जोन–4 वार्ड–59 के अन्तर्गत नगर निगम कब्रिस्तान में लाईट व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, जंगल की सफाई व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था जंगल की साफ, सफाई व्यवस्था, टूटा गेट, अवैध कब्जा एवं अराजक तत्व द्वारा आये दिन आग, लगाना जो कि उचित नहीं है। गेट टूटा होने के कारण अन्दर गन्दे जानवर जाते है।

अतः मेरा मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष आपसे सादर अनुरोध है कि जनहित में उक्त नगर निगम कब्रिस्तान के सभी कार्य कराये जाने हेतु सम्बन्धित जोन के अधिकारियों को आदेशित करने का आदेश पारित करें।

...............हिन्दू /मुस्लिम कब्रिस्तानों से अतिक्रमण हटाते हुए मूलभूत अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुए सदन को अग्रसारित किया गया।

टेबुल प्रस्ताव संख्या– 477

मो0 आमिर खान, पार्षद, वार्ड–59 द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित प्रस्ताव पर विचार किया जाना

सादर अवगत कराना है कि जो नये मृतक आश्रित आ रहे है उनको 06 माह का टाईप टेस्ट का समय देते हुए लिपिक बनाया जा रहा है। नगर निगम में जो कर्मचारी पढ़े लिखे है व जिनका रिटायरमेन्ट करीब है, उनको भी 06 माह का टाईप टेस्ट का समय देते हुए लिपिक बनाये जाने के आदेश सम्बन्धित अधिकारियों को पारित करने हेतु।

.............नियमानुसार शासनादेश के क्रम में कार्यवाही कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

टेबुल प्रस्ताव संख्या– 478

श्रीमती अनीता त्रिपाठी, अध्यक्ष, स्नेह गंगा सेवा समिति द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

ढकनापुरवा, जोन–3 स्थित रैन बसेरा के बाहर ध्वस्त भवन है इस क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट अधिक होने की वजह से तथा लोगों का व गाड़ियों का आवागमन अधिक होने की वह से पानी की अधिक खपत है और पानी

	4	के0डी0ए0 फण्ड	1092.04	500.00	0.00	800.00
	5	14वां/15वां वित्त आयोग	1356.70	1500.00	1500.00	4000.00
	6	राज्य वित्त आयोग	100.00	0.00	0.00	100.00
3112301	7	अनुदान (विधुत एवं व्यय)	4696.80	3600.00	186.64	4200.00
		कुल आय–	**7324.83**	**5900.00**	**2038.47**	**9650.00**
		प्रारम्भिक अवशेष	1944.66	3551.00	1933.56	4789.00
		महायोग –	**24515.72**	**26781.00**	**13496.36**	**33462.00**

लेखा कोड	क्रम सं0	मद विवरण	वास्तविक व्यय 2020–21	प्रस्तावित व्यय 2021–22	वास्तविक व्यय दिसम्बर, 2021	प्रस्तावित व्यय 2022–23
	अ–	संचालन व्यय –				
2101001	1	अधिष्ठान व्यय	10850.92	12924.00	6521.19	13742.00
2303004	2	पूर्तियॉ	541.30	920.00	168.62	990.00
2308007	3	अन्य व्यय	113.03	130.00	72.95	140.00
2305006	4	रख–रखाव व्यय	1438.00	1660.00	687.37	1820.00
2208003	5	जनरल टैक्स (समायोजन)	0.00	350.00	0.00	400.00
	ब–	आकस्मिक व्यय –				
4104007	1	जल मापक यन्त्रों का क्रय	-	2.00	-	5.00
4106001	2	मशीनों तथा यन्त्रों का क्रय	-	25.00	-	27.00
4107001	3	फर्नीचर तथा कम्प्यूटर क्रय	-	15.00	-	18.00
4105001	4	वाहन, ट्रैक्टर, टैंकर क्रय	-	0.00	-	0.00
4102001	5	भवन निर्माण एवं भूमि	-	20.00	-	25.00

4107006	6	आकस्मिक पूंजीगत व्यय	-	6.00	-	6.00
4103101	7	नई नलिकायें बिछाना (जल/सीवर)	-	20.00	-	25.00
4103201	8	ट्यूबवेल/पम्प हाउस	-	0.00	-	0.00
4104003	9	नये पम्पिंग/मोटर पम्प सेट का क्रय	-	10.00	-	25.00
3311001	10	ऋण एवं व्याज का भुगतान	-	0.00	-	0.00
		योग संचालन व्यय –	**12943.25**	**16082.00**	**7450.13**	**17223.00**
3111001	स–	**असंचालन व्यय –**				
		डिपाजिट कार्य				
	1	सांसद/विधायक निधि	159.52	100.00	151.41	400.00
	2	अवस्थापना निधि	25.19	200.00	6.45	100.00
	3	के0एन0एन0 योजना	0.00	0.00	24.41	50.00
	4	के0डी0ए0 फण्ड	280.65	500.00	418.86	800.00
	5	14वां/15वां वित्त आयोग	11.42	1500.00	1203.63	4000.00
		योग असंचालन व्यय –	**5259.71**	**5900.00**	**1839.60**	**9650.00**
		कुल योग (अ+ब+स+ द) व्यय	**18202.96**	**21982.00**	**9289.73**	**26873.00**
		अन्तिम अवशेष	6312.76	4799.00	4206.63	6589.00
		महायोग	**24515.72**	**26781.00**	**13496.36**	**33462.00**

..................सर्वसम्मति से वित्तीय वर्ष 2022–23 के जल कल विभाग, नगर निगम के मूल बजट आय पक्ष में दर्शायी गयी धनराशि रू0 28673.00 लाख एवं प्रारम्भिक अवशेष रू0 4789.00 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 33462.00 लाख तथा व्यय पक्ष में धनांक रू0 26873.00 लाख एवं अन्तिम अवशेष रू0 6589.00 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 33462.00 लाख को स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया ।

<u>प्रस्ताव संख्या–390</u>

श्री विकास फेरवानी, नगर अध्यक्ष भारतीय, सिंधु सभा यूथ विंग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुतः–

विषयः– <u>मरियमपुर चौराहे से विजय नगर तक की रोड का नाम श्रद्धेय स्व0 वासुदेव वासवानी जी के नाम से किये जाने के संबंध में।</u>

निवेदन है कि समाज की सेवा के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले श्रद्धेय स्व0 वासुदेव वासवानी जी हम सबकी यादो मे हमेशा बने रहे। इसकी याद में आपसे अनुरोध है कि मरियमापुर चौराहे से विजय नगर तक की रोड का नाम श्रद्धेय स्व0 वासुदेव वासवानी जी के नाम से करने की कृपा करें।

.... परीक्षण करा लें यदि पूर्व से संदर्भित सड़क/मार्ग का कोई नामकरण नही है तो उपरोक्तानुसार नामकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है।

<u>प्रस्ताव संख्या–391</u>

मंहगाई के दृष्टिगत कम से कम रूपयें 05–05 हजार प्रतिमाह प्रत्येक आउटसोर्सिंग कर्मियों के पारिश्रमिक की वृद्धि करा दी जाये

नगर आयुक्त ने विशेष रूप से कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश के अनुपालन में सफाई कर्मियों के पारिश्रमिक वृद्धि की जा चुकी है, अतः शेष आउटसोर्सिंग कर्मियों के पारिश्रमिक **वृद्धि** में कितना व्ययभार आयेगा, तद्नुसार मा0 सभापति के संज्ञान में लाते हुए कार्यवाही कराई जायेगी।

...........तद्नुसार नगर आयुक्त को कार्यवाही कराये जाने की स्वीकृति इस आशय से प्रदान की गयी कि आगामी आहूत सदन की बैठक के एजेण्डे में तद्नुसार अंकित किया जा सके।

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या– 473</u>

श्री कैलाश पाण्डेय, पार्षद/उपसभापति द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित प्रस्ताव पर विचार किया जाना

अवगत कराना है कि स्व0 पी0एन0 राय जो कि पार्षद एवं डिप्टी मेयर थे। उनके नाम से जे0के प्रथम से ग्रेटर कैलाश जाने वाली सड़क को **मा0 कार्यकारिणी से अनुमति** प्रदान करने की कृपा करें।

.... परीक्षण करा लें यदि पूर्व से संदर्भित सड़क/मार्ग का कोई नामकरण नही है तो उपरोक्तानुसार नामकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है।

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या– 474</u>

श्री अशोक कुमार पाल, पार्षद, वार्ड–36 द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित प्रस्ताव पर विचार किया जाना

विषय : <u>बाबा कुटी चौराहा एवं उसके समीप स्थित बगीचे के सुन्दरीकरण हेतु प्रस्ताव।</u>

अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे वार्ड सं0 36 अजीतगंज में लगभग 150 वर्ष पूर्व बगाही गांव हुआ करता था, जिसमें वहाँ पर निवासी खेती किया करते थे। उसी समय ही एक बाबा की कुटिया एवं उनका बनाया हुआ एक बगीचा जिसमें वो पेड़ एवं पौधों की बागवानी किया करते थे। उस बगीचे में एक कुँआ हुआ करता था। जिसे विवाह के समय पूजन होता था। जो कि कालान्तर में उस जगह को बाबा कुटी चौराहा के नाम से जाना जाता हैं। अब उस बगीचे के आस–पास लोगों में अस्थायी रूप से अतिक्रमण कर रखा है। जिससे उस बगीचे के वजूद को धीरे–धीरे खत्म किया जा रहा है।

अतः आपसे निवेदन है कि उस बगीचे का स्थलीय निरीक्षण कराकर आस–पास के कब्जे से मुक्त कराया जाये एवं चौराहे, बगीचे के सुन्दरीकरण के लिये नोडल अधिकारी स्मार्ट सिटी को आदेशित करने की कृपा करें।

...................प्रश्नगत स्थल का अवैध अतिक्रमण हटाते हुए सुन्दरीकरण कराने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या– 475</u>

श्री मनोज राठौर, पार्षद, वार्ड–39 द्वारा प्रस्तुत एवं **मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित**

विषय : <u>जोन–03 संजय वन के बाहर लगा रहे फूड स्टाल से यूजर चार्ज लेने के सम्बन्ध में।</u>

टेबुल प्रस्ताव संख्या– 471

श्रीमती नमिता मिश्रा, पार्षद वार्ड–37 द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित पर विचार किया जाना

आपको अवगत कराना है कि प्रत्येक वार्ड में 25–35 हैण्डपाइप खराब पड़े है जो कि ठूंठ की तरह खड़े है अतः सम्पूर्ण शहर में प्रत्येक वार्डो में रिबोर के हैण्डपाइप दे दिये जाये तो हैण्डपाइपों की मशीन व पुराने पाइप भी काम आ जायेंगे, क्रय नहीं करना पड़ेगा, प्यासी जनता को पानी भी उपलब्ध हो जायेगा। अतः कार्यकारिणी कमेटी से आग्रह है।

...............तद्नुसार नियमानुसार कार्यवाही कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

टेबुल प्रस्ताव संख्या– 472

श्री रमाकान्त मिश्रा, महामंत्री, कानपुर नगर निगम कर्मचारी संघ, कानपुर द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित पर विचार किया जाना

विषय– नगर निगम कानपुर में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर, केयर–टेकर एवं मालियों के वेतन वृद्धि हेतु टेबल प्रस्ताव।

महोदया,

कृपया संघ आपका ध्यान उपरोक्त विषय के निम्न बिन्दुओं पर आकर्षित करना चाहता हैः–

1. यह कि नगर निगम कानपुर में लगभग 90 कम्प्यूटर ऑपरेटर सेवाप्रदाता कम्पनी के माध्यम से आउटसोर्स पर कार्य कर रहे हैं जिसमें से लगभग 38 कुशल कम्प्यूटर ऑपरेटर हैं जिनको कार्य करते हुये 05 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो गया है। ऐसे कम्प्यूटर आपरेटरों को लखनऊ नगर निगम लगभग रू0–22000.00 प्रतिमाह की दर से दिया जा रहा है। अतः नगर निगम कानपुर में 05 वर्षों से कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटरों को महंगाई एवं अनुभव के दृष्टिगत रू0–22000.00 प्रतिमाह भुगतान किया जाना न्यायोचित होगा। अतः मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को पारित करने की महती कृपा करें।
2. यह कि केयर टेकर, उद्यान विभाग एवं अभियन्त्रण विभाग में आउटसोर्स में लगे कर्मचारियों को सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा अल्प वेतन अर्थात लगभग रू0–6000.00 ही मिल रहा है। इस भीषण महंगाई में उनका जीवन यापन भी नहीं हो पा रहा है, स्वास्थ्य, शिक्षा तो बहुत दूर की बात है। कृपया मानवीय दृष्टिकोण से इनको कम से कम रू0–10000.00 का भुगतान किये जाने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति में प्रस्ताव पारित करने की महती कृपा करें।

अतः संघ का मा0 महापौर जी एवं मा0 कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्यों से विनम्र आग्रह है कि उपरोक्त दोनों प्रस्तावों को पारित कर कर्मचारी हित में न्यायप्रिय निर्णय लेने का कष्ट करें, इसके लिये संघ आपका सदैव आभारी रहेगा।

सभापति ने कहा कि प्रश्नगत प्रस्ताव में सेवा प्रदाता कम्पनी (आउटसोर्सिंग) के माध्यम से सन्दर्भित पदो के पारिश्रमिक वृद्धि पर दिनांक 11.10.2021 की सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति के बैठक के प्रस्ताव संख्या–331 को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथापि नगर आयुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान

श्री अमित कुमार मेहरोत्रा, मा0 पार्षद वार्ड–76 सदस्य, जिला योजना समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुतः–

आपको सादर अवगत कराना है कि वार्ड–76 हरवंश मोहाल, वरिष्ठ पत्रकार एवं सामाजिक आदरणीय स्वर्गीय शैलेन्द्र जी के नाम उनके निवास स्थान की गली का नामकरण करवाने की कृपा करे।

.... परीक्षण करा लें यदि पूर्व से संदर्भित सड़क/मार्ग का कोई नामकरण नही है तो उपरोक्तानुसार नामकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रस्ताव संख्या–392

श्री कमल कान्त तिवारी, अध्यक्ष, सुभाष चिल्ड्रेन सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुतः–

विषयः– विकास नगर पत्रकारपुरम स्थित पानी की टंकी वाले पार्क को आजाद हिन्द फौज की सेनानी मानवती आर्या के नाम पर पार्क का नाम करने के सम्बन्ध में।

निवेदन के साथ अवगत कराना है कि प्रदेश स्तरीय बालसेवी सुभाष चिल्ड्रेन सोसाइटी द्वारा विगत 38 वर्षो से बच्चों के लिए कार्य कर रही है जिस क्रम में संस्था आपसे आजाद हिन्द फौज की स्वतंत्रता सेनानी व बाल सेविका मानवती आर्या व निवास स्थान विकास नगर स्थित पानी की टंकी वाले पार्क को आजाद हिन्द फौज के स्वतंत्रता सेनानी व बाल सेविका मानवती आर्या के नाम पर करने का अनुरोध करती है जिससे जनसामान्य व क्षेत्रीय नागरिकों मे स्वतंत्रता सेनानियों की याद बनी रहे और लोग उनके द्वारा किए गए देश हित में कार्यो को याद कर उनका अनुसरण कर अच्छे नागरिक बन सके।

अतः आपसे अनुरोध है कि आजाद हिन्द फौज की स्वतंत्रता सेनानी व बाल सेविका मानवती आर्या के निवास स्थान विकास नगर स्थित पानी की टंकी वाले पार्क को उनके नाम रखने की कृपा करे।

.... प्रश्नगत पार्क का नामकरण मानवती आर्या पार्क किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या–393

श्री अमित कुमार मेहरोत्रा 'बब्लू' मा0 पार्षद वार्ड सं0–76 हरबंश मोहाल सदस्य जिला योजना समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

सादर अवगत कराना है कि पूर्व में सदन में स्वतंत्रता सेनानियों के नामकरण के लिये नाम मागें गये थे। हमारा आपसे अनुरोध है कि वार्ड–76 हरवंश क्षेत्र में स्व0 पं0 रामेश्वर अवस्थी जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके नाम से मुन्नालाल चौराहे से धसयारी मंडी चौराहे तक का उस मार्ग का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 पं0 रामेश्वर अवस्थी जी के नाम से किया जाये।

सभापति ने कहा कि मा0 सदन की बैठक में निर्णय लिया जा चुका है कि सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तालिका सभी खण्डों में संकलित कर ली जाये तद्नुसार परीक्षण कराते हुये सड़क/मार्ग के नामकरण की कार्यवाही करायी जाये।

.... तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>प्रस्ताव संख्या–394</u>

श्री कमल कान्त तिवारी, अध्यक्ष, सुभाष चिल्ड्रेन सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुतः–

विषयः– <u>कानपुर के वार्डो की संख्या से पहले महापुरूषों का नाम जोड़ने के संबध में।</u>

आप अवगत होंगें कि कानपुर नगर में 110 वार्ड है और प्रदेश स्तरीय बालसेवी संस्था सुभाष चिल्ड्रेन सोसाइटी आपसे कानपुर नगर प्रत्येक वार्ड की सख्या से पहले महापुरूषों का नाम जोड़ने का अनुरोध करते है जिससे जनसामान्य व बच्चों में महापुरूषों की याद बनी रहे और लोग उनके द्वारा किए गए देश हित में कार्यों को याद कर उनका अनुसरण कर अच्छे नागरिक बन सके।

चूंकि कानपुर नगर में वार्ड–54 जो कि बाबूपुरवा कालोनी किदवई नगर में स्थित है जिसमें सस्था कार्यालय 328/7 बाबूपुरवा कालोनी किदवई नगर कानपुर भी है जिस क्रम में संस्था आपसे वार्ड 54 को सुभाष चन्द्र बोस बार्ड, व अन्य वार्डो को भी अन्य महापुरूषो के नाम जैसे स्वामी विवेकानन्द वार्ड डा0 भीमराव अम्बेडकर वार्ड, महात्मा गांधी वार्ड, दादा भाई नरौजी वार्ड, तात्या तोपे वार्ड , रानी लक्ष्मी बाई वार्ड इत्यादि के नाम जोड़ने का अनुरोध करती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि वार्ड 54 को सुभाष चन्द्र बोस वार्ड सहित अन्य वार्डो को भी अन्य महापुरूषों के नाम से जोड़ने की कृपा करें।

.... स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं महापुरूषों की सभी खण्डों से संकलित तालिका के अनुसार परीक्षण कराते हुये अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>प्रस्ताव संख्या–395</u>

कु0 विधि राजपाल मा0 पार्षद वार्ड सं0–34 एवं अन्य 02 मा0 पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो कि मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

आपको अवगत कराना है कि मेरे वार्ड–34 रतन लाल नगर में भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय मुन्ना सिंह जी का निवास है जिनका आकस्मिक निधन कोरोना काल में हो गया था। अतः आपसे निवेदन है कि मेरे ही वार्ड स्थित कैलाशी गेस्ट हाउस व जनता नगर चौकी मध्य चौराहे को स्व0 मुन्ना सिंह चौक का नाम देकर व चौराहे का गोदनामा स्व0 मुन्ना सिंह सेवा समिति (रजि0) देकर संस्तुति प्रदान करने की कृपा करें।

.... कैलाशी गेस्ट हाउस व जनता नगर चौकी मध्य चौराहे का नामकरण स्व0 मुन्ना सिंह चौक किये जाने एवं चौराहे को गोद दिये जाने के सम्बन्ध में परीक्षण कर अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>प्रस्ताव संख्या–396</u>

.... परीक्षण करा लें यदि पूर्व से संदर्भित सड़क/मार्ग का कोई नामकरण नही है तो उपरोक्तानुसार नामकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है।

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या– 468</u>

श्री दुर्गा प्रसाद गुप्ता, पार्षद, वार्ड–63 द्वारा प्रस्तुत एवं माननीय महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित पर विचार किया जाना

हमारे वार्ड–63 के अन्तर्गत गरीबों व मध्यम आय वर्ग के लोगों हेतु कोई बारातशाला नहीं है। जिसकी बजह से हमारी क्षेत्रीय जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और क्षेत्रीय लोग को सड़को पर ही शादी विवाह व अन्य छोटे–मोटे कार्यक्रम का आयोजन टेन्ट लगाकर सड़क पर ही करना पड़ता है। आग्रह है कि हमारे वार्ड मे जनसंघ कार्यकर्ता समाज सेवी स्व0 श्रद्धेय दर्शन सिंह जी के नाम से एक बारातशाला बनाने हेतु सम्मानित नगर निगम कार्यकारिणी से स्वीकृति प्रदान करने की अनुमति प्रदाने करने का कष्ट करें। जिसकी अनुमानित लागत 50,00,000 लाख रूपये है।

................प्रस्ताव संख्या–429 में निर्णय लिया जा चुका है।

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या– 469</u>

श्री रमेश चन्द्र हठी, पार्षद द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित पर विचार किया जाना

सादर अवगत कराना है कि लोकतंत्र सेनानी मा0 प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेई जी के साथ फतेहगढ़ जेल में कबड्डी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाले, स्व0 पन्ना लाल ताम्बे जी के नाम लक्ष्मीपुरवा चौराहे का नामकरण करने की कृपा करें, समस्त वाल्मीकी समाज आपका सदैव आभारी रहेगा।

.... परीक्षण करा लें यदि पूर्व से प्रश्नगत चौराहे का कोई नामकरण नही है तो उपरोक्तानुसार नामकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है।

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या– 470</u>

श्रीमती अंजू मिश्रा, पार्षद, वार्ड–35 द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित पर विचार किया जाना

विषय :पुराने शिवली रोड का नाम शोभन मन्दिर मार्ग किये जाने के सम्बन्ध में।

सादर निवेदन करना है कि वार्ड–35 कल्याणपुर उत्तरी से होकर गुजरने वाले पुराने शिवली रोड मार्ग जो कि नये शिवली रोड से होकर शोभन मन्दिर को जाता है। अतः आपसे सादर निवेदन है कि पुराने शिवली रोड मार्ग का नाम शोभन मन्दिर मार्ग करवाने की कृपा करें।

.... परीक्षण करा लें यदि पूर्व से संदर्भित सड़क/मार्ग का कोई नामकरण नही है तो उपरोक्तानुसार नामकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अवगत कराना है कि शास्त्री नगर स्थित बड़ा सेन्टर पार्क में हर वर्ष छठ मैया के कार्यक्रम का आयोजन होता है। जिससे नगर निगम द्वारा चार दिन तक गड्ढा और जल संस्थान द्वारा पानी की भराई की जाती है। कार्यक्रम के बाद फिर नगर निगम गडढे की भराई कराता है। जिससे नगर निगम काफी खर्च होता है। छठ–मैया का आयोजन हर वर्ष रामलीला ग्राउन्ड बिजली घर के बगल में होता है। अतः आपसे अनुरोध है कि स्थाई छठ मैया कार्यक्रम हेतु कराये जाने के लिये छठ–घाट बनवा दिया जाये, तो हजारों कही संख्या में आने वाले भक्त आपके आभारी होंगे और नगर निगम का खर्च भी बचेगा। अतः आपसे अनुरोध है कि कार्यवाही हेतु आदेशित करें।

..............मा0 न्यायालय के आदेश के आलोक में कार्यवाही किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

टेबुल प्रस्ताव संख्या– 466

श्री ध्रुव कुमार डालमिया द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र पर श्री महेन्द्र पाण्डेय, पार्षद द्वारा अग्रसारित,जो मा0 महापौर जी को सम्बोधित है, विचार किया जाना

मेरे पूज्य पिताश्री श्री अनिल कुमार डालमिया का स्वर्गवास दिनांक 11.4.2022 को हो गया था। अनिल कुमार डालमिया कानपुर के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी और आजाद नगर के लगभग 50 वर्ष से निवासी थे। स्व0 अनिल कुमार डालमिया कानपुर केमिकल एण्ड डाइज एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य एवं पेट्रन एवं केन्द्रीय विद्यालय I.I.T. कानपुर के Alumini Association के गठन के समय से अध्यक्ष थे। इसके आलावा अन्य कई संस्थाओं गौशाला कमेटी, अग्रवाल सभा आदि के भी सदस्य थे एवं कानपुर एवं दिल्ली के प्रतिष्ठित क्लबों के भी मेम्बर थे। कानपुर नगर की एक मात्र पुष्प प्रदर्शनी कराने वाली संस्था कानपुर फ्लोरोक्लचर सोसाइटी में आपका सक्रिय योगदान था। आपने सामाजिक एवं परोपकारी कार्यो में भी महत्वपूर्ण सहयोग किया है। बच्चों की शिक्षा, गरीब कन्या के विवाह, गरीबों को वस्त्र एवं भोजन वितरण, पौशाला, भंडारा आदि नेक कार्यो में सदैव सहयोग के लिये तत्पर रहते थे। कानुपर की जानी–मानी अर्पिता महिला मण्डल को भी आपने पूर्ण सहयोग प्रदान किया। उनके स्मृतियों को संजोकर रखने के लिये आपसे निवेदन है कि तिलक चौराहे से गंगा बैराज जाने वाली सड़क का नामकरण श्री अनिल कुमार डालमिया रोड करने की अनुमति कानपुर नगर निगम द्वारा स्वीकृत करने की कृपा करें।

.... परीक्षण करा लें यदि पूर्व से प्रश्नगत चौराहे का कोई नामकरण नही है तो उपरोक्तानुसार नामकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है।

टेबुल प्रस्ताव संख्या– 467

श्री सुधीर शुक्ला, वार्ड–40, 3/182, विष्णुपुरी, कानपुर नगर द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र एवं श्री महेन्द्र पाण्डेय, पार्षद द्वारा अग्रसारित एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित प्रस्ताव पर विचार किया जाना

प्रार्थी के पिता स्व0 मुन्ना प्रसाद शुक्ला कानुपर के सरकारी अधिकारी के पद पर रहे है। सेवानिवृत्त होनें के बाद वो समाज सेवा करना जैसे–गरीब कन्याओं का विवाह, गरीब बीमार लोगों की मदद करना और भी इसी तरह का कार्य करते रहे प्रार्थी के पिता समाजसेवा करते समय कोरोना की चपेट में आने के कारण दिनांक 23.04.2021 को ब्रम्हलीन हो गये। अतः माननीया आपसे व समस्त कार्यकारिणी सदस्यगणों से निवेदन है कि स्व0 मुन्ना प्रसाद शुक्ला के निवास के सामने वाले मार्ग का नाम मेरे पिता के नाम करने की कृपा करें, हमारा परिवार आपका सदैव आभारी रहेगा। उक्त मार्ग किसी भी व्यक्ति के नाम से नही है।

श्री अमित कुमार मेहरोत्रा 'बब्लू' मा0 पार्षद वार्ड सं0–76 हरबंश मोहाल सदस्य जिला योजना समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

विषयः– स्व. उमा रतन त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार जी के नाम सड़क का नामकरण के सम्बंध में।

सादर अवगत कराना है कि वार्ड–76, हरवंश मोहाल क्षेत्र में स्व. वरिष्ठ पत्रकार उमारतन जी त्रिवेदी निवास करते थे और समाजिक व्यक्ति भी थे। अतः आपसे अनुरोध है कि सिद्धेश्वर मन्दिर से 64/01 हनुमान मंदिर तक सड़क का नाम स्व. उमा रतन त्रिवेदी जी के नाम से नामकरण कर दिया जाये। उपरोक्त सड़क जीर्णोद्धार भी करवाने की कृपा करें।

.... परीक्षण करा लें यदि पूर्व से संदर्भित सड़क/मार्ग का कोई नामकरण नही है तो उपरोक्तानुसार नामकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रस्ताव संख्या–397

श्री सुमित कुमार पाल, मा0 पार्षद वार्ड सं0–53 सरायमीता, पनकी कानपुर नगर द्वारा प्रस्तुत जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

विषयः– एफ ब्लॉक गणेश शंकर विद्यार्थी नगर स्थित पार्क की मरम्मत/सुंदरीकरण के सम्बंध में।

उपरोक्त पार्क हमारे वार्ड पनकी का सबसे बड़ा पार्क है जिसका रख रखाव न होने के कारण अवैध कब्जे हो गये है एवं कूड़ा आदि पड़ा है। उपरोक्त पार्क एक बहुत बड़ी आबादी में है।

कृपया जनहित में उक्त पार्क से अवैध कब्जा हटाने व साफ सफाई कराकर सुन्दरीकरण कराने का कष्ट करें। सुन्दरीकरण होने से सुन्दर नगर, गणेश शंकर विद्यार्थी नगर व एफ ब्लॉक के नागरिकों को लाभ मिल सकेगा।

.... प्रश्नगत पार्क से अवैध कब्जे हटाने तथा साफ–सफाई कराने की स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या–398

श्रीमती निर्मला मिश्रा,मा0 पार्षद वार्ड सं0–27, प्रदेश उपाध्यक्ष किसान संघ जिला–उपाध्यक्ष, कानपुर महानगर एवं 03 अन्य मा0 पार्षद द्वारा प्रस्तुत जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

विषयः– प्रस्ताव (1) नगर निगम का डम्प कार्यालय के निर्माण हेतु।

(2)गूवा गार्डेन आ0 52 को भू–माफियों से खाली करकर पार्क का

निर्माण हेतु प्रस्तुत।

जनहित में कार्य अति आवश्यक है।

.... तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या–399

श्री मनोज कुमार राठौर,मा0 पार्षद वार्ड सं0–39 ट्रान्सपोर्ट नगर,द्वारा प्रस्तुत जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

जूही हमीरपुर रोड स्थित सॉवल दास शिव मन्दिर पार्क जो कि सैकड़ो वर्ष पुराना है उक्त मन्दिर के पार्क में अवव्यस्था है अतः श्रद्धालुओं की आस्था का ध्यान में रखते हुये उक्त पार्क का सुन्दरीकरण कराया जाना अति आवश्यक है ताकि श्रद्धालुओं को आराम करने व दर्शन करने में सुविधा हो सके।

श्री मनोज कुमार राठौर ने अवगत कराया कि नवरात्रि के समय श्रद्धालुओं द्वारा जवारें एवं शोभायात्रायें निकाली जाती है, जिसमें बैठने हेतु कोई उचित स्थान न होने के कारण श्रद्धालुओं को कड़ी धूप में असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। अतः मेरा अनुरोध है कि प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी जाये।

.... **तद्नुसार प्रश्नगत पार्क के सुन्दरीकरण कराये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।**

प्रस्ताव संख्या–400

श्रीमती निर्मला मिश्रा,मा0 पार्षद वार्ड सं0–27, प्रदेश उपाध्यक्ष किसान संघ जिला–उपाध्यक्ष, कानपुर महानगर एवं 04 अन्य मा0 पार्षद द्वारा प्रस्तुत जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

विषय– रतन सेवा समित को राधा माधव पार्क को गोद व रखरखाव किये जाने हेतु आग्रह।

समस्त अधिकारीगण–नानकारी का पार्क **रतन सेवा समिति को गोद दिया दे दिया जाये** जिसमे उसकी सदैव देखरेख व उचित कार्यो के लिये तत्पर्य रहे उसमे कोई अवैध कार्यनामे न हो।

मा0 महापौर जी ये कार्य जनहित में अति आवश्यक है।

.... **परीक्षण कराते हुये अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत** करने हेतु **निर्देश दिये गये।**

प्रस्ताव संख्या–401

श्री लियाकत अली,मा0 पार्षद वार्ड सं0–71, सीसामऊ दक्षिणी एवं 05 अन्य मा0 पार्षद द्वारा प्रस्तुत जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

हलीम इन्टर ग्राउन्ड में काफी गन्दकी रहती है जिससे वहां होने वाले खेल क्रिकट,फुटबाल हॉकी जैसे खेल वहां पर होते थे जिसमे यू.पी.को फाइनल जिताने वाली टीम के खिलाड़ी मो0 आमिर जैसे खिलाड़ी इसी ग्राउन्ड में तैयार होकर शहर नाम रोशन किया आज उसी ग्राउन्ड में सीवर न होने के कारणवश खेल बंद हो गये कार्यकारिणी समक्ष यह प्रस्ताव प्रस्तुत है वहां लगभग 150 मीटर सीवर लाईन डालने का आदेश करें जिससे वहां गन्दगी खतम होकर वहां पर फिर खेल बैगर चालू हो सके।

महाप्रबन्धक 'जलकल' ने सदस्यों को अवगत कराया कि हलीम इन्टर ग्राउण्ड के परिसर के अन्दर सीवर लाइन की समस्या है, साथ ही यह भी अवगत कराना है कि आस–पास के मकानो की सीवर मैदान में

आपको अवगत कराना है कि पूर्व में प्रस्ताव पास हुआ था कि जाँच हेतु गया था कि पूर्व में इस मार्ग का कोई अन्य नाम तो नही है तो मेरी जानकारी के अनुसार नाम नही है। अतः नामकरण करे ताकि हमारी आने वाली सन्तति सुरेन्द्र नाथ पाण्डेय के बलिदानों को याद कर सके पाण्डेय जी लगातार पन्द्रह वर्ष तक लाहौर बस काण्ड में भगत सिंह जी के साथ सह अभियुक्त थे।

.... **परीक्षण करा लें यदि पूर्व से संदर्भित सड़क/मार्ग का कोई नामकरण नही है तो उपरोक्तानुसार नामकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

टेबुल प्रस्ताव संख्या– 463

श्री जयप्रकाश पाल पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :–

अवगत कराना है कि वार्ड–72 दबौली के कार्य जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनको जनहित में कार्यकारिणी प्रस्ताव में सम्मिलित करने का कष्ट करे।

1. वार्ड–72 दबौली के अन्तर्गत दबौली वेस्ट सब्जीमण्डी चौराहे का नाम रानी अहिल्या बाई होल्कर के नाम से चौराहा का नामकरण कराने के सम्बन्ध में।
2. दबौली वेस्ट चौराहे का सुन्दरीकरण कराने के सम्बन्ध में।
3. वार्ड–72 दबौली के अन्तर्गत साइड–5 उद्योग कुंज टेस्टी दूध फैक्ट्री के सामने पार्क की बाउण्ड्रीवॉल व सुन्दरीकरण हेतु।
4. नौरैय्या खेड़ा गॉव में वाटर लाइन चालू कराने के सम्बन्ध में।

.... **परीक्षण करा लें यदि पूर्व से प्रश्नगत चौराहे का कोई नामकरण** नही है तो उपरोक्तानुसार नामकरण **के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है एवं शेष बिन्दुओं पर नगर आयुक्त परीक्षण कराकर कार्यवाही करायें।**

टेबुल प्रस्ताव संख्या– 464

श्री अनूप कुमार शुक्ला पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :–

निवेदन है कि मेरे वार्ड 88 हनुमन्त विहार निवासी शैलेन्द्र प्रताप सिंह की आकस्मिक मौत हो गयी है। इन्होंने अपनी सेवा के दौरान 27 आतंकवादियों को मारा था। अतः इनकी देश के प्रति समर्पण को देखते हुये धोबिन पुलिया से खाड़ेपुर को जाने वाले मार्ग का नामकरण शहीद शैलेन्द्र प्रताप सिंह के नाम से करने का आदेश प्रदान करें।

.... **परीक्षण करा लें यदि पूर्व से संदर्भित सड़क/मार्ग का कोई नामकरण नही है तो उपरोक्तानुसार नामकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

टेबुल प्रस्ताव संख्या– 465

श्री अरविन्द यादव, पार्षद द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित प्रस्ताव पर विचार किया जाना

टेबुल प्रस्ताव संख्या– 460

श्री भूपेश अवस्थी, अध्यक्ष, महानगर विकास समिति द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर द्वारा पृष्ठांकित प्रस्ताव पर विचार करना :–

विषय :– निराला नगर राम मानस मंदिर के समीप स्थित पार्क को गोद लिये जाने के संबंध में।

निराला नगर कानपुर में राम मंदिर स्थित पार्क क्षेत्रीय नागरिकों एवं आस–पास के निवासियों के लिये शुद्ध व ताजी वायु देने के साथ–साथ स्वस्थ्य एवं स्वच्छ वातावरण के लिये अति महत्वपूर्ण है, किन्तु अनवरत रखरखाव व सफाई आदि की उचित व्यवस्था एवं नियमित माली के अभाव में पेड़–पौधो के संरक्षण में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

महानगर विकास समिति एक पंजीकृत समिति है तथा प्रदूषण एवं पौधो के संरक्षण में अनवरत कार्य कर रही है। महानगर विकास समिति उक्त पार्क को नगर निगम द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो पर गोद लिये जाने हेतु तत्पर है। कृपया उक्त पार्क गोद दिये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

.... तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

टेबुल प्रस्ताव संख्या– 461

सुश्री लक्ष्मी कोरी पार्षद वार्ड–4 द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर द्वारा पृष्ठांकित प्रस्ताव पर विचार करना :–

कृपया अवगत कराना है कि मेरे वार्ड नं0–4 व जोन–4 में स्थित ग्वालटोली वार्ड के अन्तर्गत खलासी लाइन चौराहे से एम.जी. कालेज तिलक नगर तिराहे तक एक प्रमुख मार्ग है, खलासी लाइन चौराहे पर ही स्व0 डाक्टर कैलाश नाथ मिश्र जी का होम्योपैथिक का दावा खाना है।

05. अक्टूबर, 1983 को डॉ0 मिश्र का स्वर्गवास हो गया था। डॉ0 मिश्र अपनी पुत्री श्रीमती किरन व पत्नी श्रीमती स्वर्गीय कमला मिश्र को छोड़ गये। डॉ0 मिश्र अपने जीवनकाल में सात्विक जीवन व्यतीत करते रहे। गरीबों की सेवा में अपना सम्पूर्ण जीवन लगाया। प्रत्येक दिन गरीब बीमार को निःशुल्क दवा का वितरण करते थे। गरीबों के मसीहा के रूप में जाने गये। उक्त प्रमुख मार्ग को स्वर्गीय डॉ0 कैलाश नाथ मिश्र मार्ग का नामकरण करना क्षेत्र की जनता चाहती है। मा0 कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही हूँ।

कृपया उक्त टेबिल प्रस्ताव को मा0 कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत करने व सर्वसम्मति से स्वीकृत कराने हेतु सादर प्रेषित।

.... परीक्षण करा लें यदि पूर्व से संदर्भित सड़क/मार्ग का कोई नामकरण नही है तो उपरोक्तानुसार नामकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है।

टेबुल प्रस्ताव संख्या– 462

श्रीमती नमिता मिश्रा पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :–

विषय :– पूर्व प्रस्ताव 111/25 से 111/42 तक मार्ग का क्रान्तिकारी सुरेन्द्र नाथ पाण्डेय के नामकरण हेतु।

गिरा रखे है, जिससे गन्दगी व्याप्त है। तत्सापेक्ष शासनादेश के क्रम में सम्बन्धित को पत्र के माध्यम से सूचित भी किया जा चुका है।

सभापति ने महाप्रबन्धक जलकल को निर्देशित कि आस–पास के भवन स्वामियों, जिन्होंने अपने सीवर मैदान में गिरा रखे है, उन्हें एक सप्ताह के अन्दर नोटिस देकर आख्या प्राप्त कर तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

.... आस–पास के भवन स्वामियों, जिन्होंने अपने सीवर मैदान में गिरा रखे है, उन्हें एक सप्ताह के अन्दर नोटिस देकर आख्या प्राप्त करते हुये अग्रिम कार्यवाही किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या–402

श्री सुमित कुमार पाल मा0 पार्षद, वार्ड–53, सरायमीता, पनकी द्वारा प्रस्तुत जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

विषयः– बरात शाला बनवाने के सम्बंध में।

वार्ड–53 के अन्तर्गत ग्राम कपिली व सरायमीता गाँव में जन मनास के हित को देखते हुए गाँव के लोगो के उपयोग के लिए आप के आभारी रहेगें।

अतः आप से अनुरोध की यह कार्य अति अवश्यक है।

सभापति ने कहा कि कानपुर महानगर के अन्तर्गत प्रत्येक वार्ड में नगर निगम की रिक्त पड़ी भूमि का चिन्हांकन करते हुये तद्नुसार संकलित तालिका के अनुसार परीक्षण कर बारातशाला एवं दुकानों के निर्माण कराये जाने की कार्यवाही करायी जाये।

.... तद्नुसार परीक्षणोंपरान्त अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या–403

श्री नवीन पण्डित पार्षद, मा0 पार्षद वार्ड–93 गोविन्द नगर द्वारा प्रस्तुत जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

विषयः– कानपुर में सड़को के बनने के बाद बसो द्वारा क्षतिग्रस्त किये जाने वालो से यूजर चार्ज लिये जाने के सम्बंध में।

आपकी अथक प्रयासो से जर्जर सड़को का निर्माण एक तरफ कराया जा रहा है वही दूसरी तरफ तमाम ट्रेवल्स वाले सैकड़ो की तैदाद में उनहीं सड़को पर धुलाई, जैक पार्ट लगा कर टायर बदलना टूल्स रिपेयरिंग करके कही बाहर से आ कर गन्दगी फैलाना स्वछता का मखौल उड़ाना उनकी आदत सी बन गयी है वही कोपरगंज, ट्रांसपोर्ट नगर, कोयला नगर, कबाड़ी मार्केट गणड़िया पुरवा आदि स्थलों पर सड़क पर ही लोहे के पार्टो को चढ़ाना उतारना भरी भरी ड्रम चड़ाने और उतारने से ट्रक वाले सड़को को बर्बाद कर रहे है। इनसे यूर्जर चार्ज लेने का प्रस्ताव कार्यकारिणी पास करे जिसे क्षतिग्रस्त सड़को की मरमद का कार्य इनसे यूजर चार्ज लेकर कराया जाये।

.... तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>प्रस्ताव संख्या–404</u>

श्री अमित कुमार मेहरोत्रा,मा0 पार्षद वार्ड–76 सदस्य जिला योजना समिति हरबंश मोहाल, द्वारा प्रस्तुत जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

वार्ड–76 हरवंश मोहाल क्षेत्र में लखनऊ फाटक गरड़िया मोहाल से तीन मंदिर चौराहा तक क्षतिग्रस्त सड़क व दोनो तरफ की साइड पटरी सी.सी. का कार्य करवाने की कृपा करें।

...............जॉचोपरान्त कार्यवाही करायी जाये।

<u>प्रस्ताव संख्या–405</u>

श्री नवीन पंडित,मा0 पार्षद वार्ड–93, गोविन्द नगर उत्तरी एवं अन्य 02 मा0 पार्षद द्वारा प्रस्तुत जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

वार्ड–93 की निम्न सर्विस लेन काफी समय से क्षतिग्रस्त है जिससे काफी गंदगी व्याप्त है और इसके कारण घरों में दूषित पानी की भी सप्लाई हो रही है इन गलियों की सर्विस लेन की रिपेयरिंग अति आवश्यक है।

(1)10/1 से 14/4 व 15/1से 19/4 व 81,82,83,84 बिल्डिंग } (लेबर कोलोनी)
व 62 नं बिल्डिंग } (लेबर कोलोनी)
(2)124/451 से 458 व 124/74 से 94 बी ब्लॉक
124/477 से राम मंदिर तक बी ब्लॉक
124/428 से 450 तक बी ब्लॉक
(3)124/427 से 438 तक 11 ब्लॉक
(4)124/66 से 72 ई ब्लॉक

उक्त गलियों की सर्विस लेनों की रिपेयरिंग कार्यकारिणी से पास कराकर 15 वें वित्त आयोग से करवाने का कष्ट करें। इसमें 50 लाख की लागत आयेगी।

...............जॉचोपरान्त कार्यवाही करायी जाये।

<u>प्रस्ताव संख्या–406</u>

श्री अनिल वर्मा,मा0 पार्षद वार्ड–55 गुजैनी कालोनी द्वारा प्रस्तुत जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

विषयः– <u>एच ब्लॉक पुलिया से टैम्पो स्टैण्ड तक नाले पर पटिया रखवाने के सम्बंध में।</u>

उपरोक्त खुले नाले में प्रतिदिन कोई न कोई रोज जानवर गिरता है 2018 से लगातार कई बार आपसे लिखित अनुरोध कर चुका हूँ परन्तु अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ यह मामला, सभी अधिकारियों के लिखित संज्ञान में है।

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या– 457</u>

श्री सुमित कुमार पाल, पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :–

सरायमीता पार्क का नामकरण अटल पार्क करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

.... परीक्षण करा लें यदि पूर्व से पार्क का कोई नामकरण नही है तो उपरोक्तानुसार नामकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है।

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या– 458</u>

श्रीमती कविता सिंह पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :–

विषय :– महानगर में जल संकट एवं अंधाधुंध जल दोहन कर रहे सभी व्यवसायिक उपक्रमों पर भूमिगत बोरिंग पर शुल्क एवं लाइसेंस लगाने के सम्बन्ध में।

पूर्व में भी पत्रांक knn/20-21/33 दिनांक 06.03.2021 के माध्यम से अनुरोध किया गया था कि शहर में अंधाधुंध भूमिगत बोरिंग द्वारा जलदोहन किया जा रहा है। इस हेतु किसी भी प्रकार के अंकुश अथवा शुल्क न होने के कारण जल की बर्बादी भी होती है।

अतः आपके माध्यम से कार्यकारिणी से निवेदन है कि सभी प्रकार की व्यवसायिक बोरिंगो पर लाइसेंस एवं उत्पादन शुल्क लगाया जाये, ताकि जल स्तर में सुधार होने के साथ–साथ जल की बर्बादी पर भी अंकुश लगाया जा सके।

.... प्रस्ताव संख्या–432 पर निर्णय लिया जा चुका है।

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या– 459</u>

श्री मिथलेश कुमार पाण्डेय, राष्ट्रीय महामंत्री, भगवान परशुराम महासभा द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर द्वारा पृष्ठांकित प्रस्ताव पर विचार करना :–

विषय :– निराला नगर (नगर निगम मार्केट) दीप सिनेमा के सामने स्थित किशोरी स्मृति उद्यान।

भगवान परशुराम महासभा एक सार्वजनिक संस्था है जो समाज के उत्थान के लिये विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही है। महासभा पार्को के अनुरक्षण एवं वृक्षारोपण का काम अनवरत कर रही है।

भगवान परशुराम महासभा की कार्यकारिणी में इस आशय के प्रस्ताव पर सहमति बनी है किशोरी स्मृति उद्यान निराला नगर कानपुर को गोद लेकर विकसित किया जाये ताकि कानपुर नगर मे एक आदर्श वाटिका के रूप में स्थापित हो सके।

अतः आपसे आग्रह है कि किशोरी स्मृति उद्यान गोद दिये जाने हेतु निर्देश जारी करने की कृपा करे भगवान परशुराम महासभा नगर निगम द्वारा निर्धारित सभी नियमो शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन करने हेतु प्रतिबद्ध एवं संकल्पित है।

.... तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

..........तद्नुसार नगर आयुक्त को नियमानुसार कार्यवाही कराये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए सदन को अग्रसारित किया गया।

टेबुल प्रस्ताव संख्या– 455

श्री जितेन्द्र सिंह (बब्लू ठाकुर), अध्यक्ष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यूनियन (रजि0 3990), नगर निगम विकास प्राधिकरण जलकल विभाग, कानपुर द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना :–

कार्मिक विभाग नगर निगम द्वारा दिनांक 18.08.2020 को चतुर्थ श्रेणी से कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति हेतु टंकण परीक्षा ली गयी थी, जिसमें कुल 18 कर्मचारियें ने टंकण परीक्षा में उत्तीर्ण की थी। जिसके उपरानत तत्समय मात्र 13 पद रिक्त होने के कारण 13 लोगों की पदोन्नति कर दी गयी थी। जिसमें 05 कर्मचारी क्रमशः 1– रणविजय सिंह, 2– जोशुआ जॉन लाल 3– साहिल कुमार, 4–अनूप कुमार शुक्ला 5– दीपक कुमार शुक्ला शेष बचे थे। तत्कालीन नगर आयुक्त महोदय द्वारा आश्वस्त किया गया था कि पद रिक्त होते ही आप लोगों को भी पदोन्नत कर दिया जायेगा।

दिनांक 15.12.2021 को कनिष्ठ लिपिक के लगभग 25 पद रिक्त हो चुके है, जिसके उपरान्त प्रार्थीगणों ने सभी उच्चाधिकारियें के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया व कई बार मिलकर अनुरोध भी किया परन्तु अभी तक प्रार्थीगणों की पदोन्नति नहीं की गयी है। प्रार्थीगण कनिष्ठ लिपिक के पद हेतु सभी अर्हता पूर्ण करते है इसके बाद भी प्रार्थीगणों की पदोन्नति नहीं की जा रही है, जिससे प्रार्थीगणों को काफी हताशा हो रही है। प्रार्थीगणों के पूर्व प्रकरण का निस्तारण न करके पदोन्नति की नई प्रक्रिया चालू कर दी गयी है। प्रार्थीगणों के अनुरोध पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि चूँकि प्रार्थीगण पूर्व में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके है जो कि संलग्न शासनादेश (सं0–5/215/861/9–1–2015–309सा/2013 दिनांक 27.02.2015) के अनुसार कनिष्ठ लिपिक के पद की सभी अर्हता पूर्ण करते है, अतः पहले प्रार्थीगणों की पदोन्नति करने के पश्चात् शेष बचे पदों नई प्रक्रिया से पदोन्नति की जाये । इनके उक्त प्रकरण को प्रस्ताव के माध्यम से मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृति प्रदान करने हेतु रखने की कृपा करें, जिसके लिये यूनियन व प्रार्थीगण आपके सदैव आभारी रहेगें।

..................तद्नुसार स्वीकृति प्रदान करते हुए नगर आयुक्त को अग्रिम कार्यवाही कराये जाने हेतु आदेशित किया गया।

टेबुल प्रस्ताव संख्या– 456

श्री अभिषेक गुप्ता, पार्षद द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना

अवगत कराना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य एवं रबिश विभाग में दो वर्षो से अधिक पदस्थ कर्मचारी के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

.....................तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।

आपसे अनुरोध है उपरोक्त कार्य को वरीयता में लेकर किसी भी निधि से करवाने का कष्ट करें।

.....................तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव संख्या–407

श्री मनोज कुमार राठौर,मा0 पार्षद वार्ड सं0–39 ट्रान्सपोर्ट नगर एवं 04 अन्य मा0 पार्षद द्वारा प्रस्तुत जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

वार्ड–39 जोन–03 के ट्रान्सपोट नगर में पीने के पानी की किल्लत को ध्यान में रखते हुये नये पुल के किनारे पड़ी नगर निगम की फुटपाथ पर एक वाटर ए.टी.एम लगाना अति आवश्यक है ताकी ट्रान्सपोट नगर एवं मुख्य मार्ग से आने वाले राहगीरों और क्षेत्रो की जनता को ठण्डा स्वच्छ पानी उपलब्ध हो सके उक्त ए.टी.एम को लगाने के लिये सजीव गुप्त पुत्र राजकुमार गुप्त जो भी व्यय होगा स्वयं वहन करेंगे और देखरेख करेंगे।

नगर आयुक्त ने कहा कि जहॉ–जहॉ वाटर ए0टी0एम0 स्थापित है, देखने में आ रहा है कि जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण नगर निगम की सड़के क्षतिग्रस्त हो रही है।

सभापति ने कहा कि स्थलीय परीक्षण कराते हुए जगह की उपलब्धता के आधार पर आख्या अगली कार्यकारिणी समिति में प्रस्तुत की जाये।

.... **स्थलीय परीक्षण कराते हुए जगह की उपलब्धता के आधार पर आख्या अगली कार्यकारिणी समिति में प्रस्तुत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी ।**

प्रस्ताव संख्या–408

श्री सुमित कुमार पाल,मा0 पार्षद वार्ड–53, सरायमीता, पनकी कानपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

विषयः–पनकी धाम स्टेशन से नया मन्दिर रोड व पनकी क्रासिंग से पनकी मन्दिर रोड की इण्टर लॉकिंग लगाने व वृक्षारोपण के सम्बंध में।

उक्त रोडे हमारे वार्ड की महत्वपूर्ण रोड है जिनमें पनकी मंदिर हमेशा श्रद्धालुओं का आना–जाना रहता है। इण्टर लॉकिंग व वृक्षा रोपण न होने से जंगल जैसा लगता है एवं फुटपाथ पर अवैध कब्जे हो गये है।

पनकी मंदिर की उपरोक्त महत्वपूर्ण सड़कों की इण्टर लॉकिंग लगवाने का कष्ट करें।

...................तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव संख्या–409

श्री अमित कुमार मेहरोत्रा,मा0 पार्षद वार्ड–06, सदस्य जिला योजना समिति हरबंश मोहाल ,कानपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो कि मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

वार्ड–76 हरबंश मोहाल निम्न क्षतिग्रस्त सड़को का व साइड पटरी का जीर्णोद्वार करवाने की कृपा करे :–

(1) झण्डे वाले चौराहे से मोती मोहाल चौराहे तक।

(2) तीन मन्दिर चौराहे से मोती मोहाल चौराहे तक व दोनो तरफ की साइड पटरी का कार्य।

......................**जॉचोपरान्त कार्यवाही करायी जाये।**

<u>प्रस्ताव संख्या–410</u>

श्री नवीन पंडित,मा0 पार्षद वार्ड–93, गोविन्द नगर उत्तरी एवं अन्य 03 मा0 पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो कि मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

सी.टी.आई. से लेकर धर्मकांटा तक गोविन्द नगर का मुख्य बाजार है जो मिनी नवीन मार्केट के रूप में जाना जाता है यहां पर जगह कम है यहा पर दूर–दूर पोल होने के कारण काफी अंधेरा रहता है जगह कम होने के कारण नये खम्भे लगाये नहीं जा सकते है यहां पर अगर 60 खम्भों में एल.ई.डी झालर लगा दी जाए तो बाजार मे पर्याप्त रोशनी हो जायेगीं और दुकानदारों को लाभ मिलेंगा और नागरिको को भी लाभ मिलेगा।

अतः महोदया जी सी.टी. आई. से लेकर धर्मकांटा तक मुख्य बाजार में 60 खम्भों में एल.ई.डी. झालर लगवाने की स्वीकृति कार्यकारिणी से करने का कष्ट करे।

......................**जॉचोपरान्त कार्यवाही करायी जाये।**

<u>प्रस्ताव संख्या–411</u>

श्री सुमित कुमार पाल,मा0 पार्षद वार्ड–53, सरायमीता पनकी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो कि मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

विषयः– <u>वीरांगना अहिल्याबाई होल्कर एवं बाबा साहब की प्रतिमा स्थल का सुंदरीकरण के सम्बंध में।</u>

अनुरोध करना है कि हमारे वार्ड में उक्त स्थल जीर्ण स्थिति में है। इस हेतु क्षेत्रीय जनता द्वारा कई बार अनुरोध किया गया है। कृपया उक्त स्थल पर लगी महापुरूषो की प्रतिमा का भव्य सुंदरीकरण कराने का कष्ट करें।

(1)अहिल्याबाई होल्कर नगर

(2)बरगदिया पुरवा

(3)पनकी कला

(4)सरायमीता गाँव

....................**तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।**

<u>प्रस्ताव संख्या–412</u>

श्री नवीन पंडित मा0 पार्षद वार्ड–93, गोविन्द नगर उत्तरी एवं अन्य 01 मा0 पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो कि मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

सम्मानित कार्यकारिणी सदस्यगण विषय प्राइवेंट स्कूलों से टैक्स लिये जाने के सम्बंध में।

नगर आयुक्त द्वारा कार्यालय पत्र संख्या– 20/डी/एनएसए/एसबी0एम0/22–23 दिनांक 02.05. 2022 प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया जाना

नगर निगम कानपुर सीमान्तर्गत आने वाले ऐसे समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान, अपार्टमेन्ट, आर0डब्ल्यू0ए0 द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नीति–2016 में राष्ट्रीय के अन्तर्गत 100 किग्रा0 या उससे अधिक कूड़ा जनित करने वालों को बल्क वेस्ट जनरेटर (BWG) की श्रेणी में रखा जाता है, किन्तु नगर निगम द्वारा राष्ट्रीय मानक 100 किग्रा0 कूड़ा जनित होते के फलस्वरूप काफी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, अपार्टमेन्ट, आर0डब्लू0ए0 आदि बल्क वेस्ट जनरेटर (BWG) जनरेटर की श्रेणी में आने से छूट रहे है।

अतः नगर निगम द्वारा ऐसे व्यवसायिक प्रतिष्ठान, अपार्टमेन्ट, आर0डब्लू0ए0 जो 30 किग्रा0 कूड़ा जनित कर रहे है, को बल्क वेस्ट जनरेटर (BWG) की श्रेणी में लाये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

...........**तद्नुसार स्वीकृति प्रदान करते हुए सदन को अग्रसारित किया गया।**

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या– 453</u>

श्री अशोक पाल, मो0 आमिर खान, श्री घनश्याम गुप्ता, श्री राजीव सेतिया, श्री मनोज राठौर, श्रीमती निर्मल मिश्रा, कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित प्रस्ताव पर विचार किया जाना :–

कानपुर महानगर जाजमऊ स्थित कानपुर सीवेज यूटीलाइजेशन स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1952 से स्थापित किया गया था। सीवेज फार्म की लगभग 788.72 एकड़ भूमि विभिन्न पट्टेदारों के मध्य आवंटित की गयी थी, जिसका न्यूनतम किराया पूर्व में जोनल कार्यालय जोन–2 द्वारा प्रात किया जा रहा है। वर्तमान में व्यवस्था एवं रख–रखाव को देखते हुये ये किराया नगण्य है।

तत्क्रम में जाजमऊ स्थित सीवेज फार्म की भूमि के पूर्व के पट्टों को निरस्त करते हुये नई शर्तो के आधार पर पट्टों को आवंटन/नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव माननीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचार–विमर्श व निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

.................**नगर आयुक्त को तद्नुसार परीक्षण कराते हुए अगली कार्यकारिणी समिति में प्रस्तुत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।**

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या– 454</u>

श्री अनूप कुमार शुक्ला, श्री रमेश चन्द्र, श्री रचना अवधेश त्रिपाठी, श्री नवीन पंडित, श्रीमती अल्पना सन्दीप जायसवाल, श्री मनोज कुमार राठौर, पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :–

कानपुर नगर निगम के अन्तर्गत आने वाले जोन–03 किदवई नगर क्षेत्र के स्व0 रतनलाल शर्मा क्रीड़ा स्थल किदवई नगर साइट नं0–1 पर खेल कूद की उच्च स्तरीय सुविधाओं के साथ आधार सेवा संस्थान द्वारा संचालित करने हेतु पाँच वर्षो हेतु अनुबन्ध चाहती है, अतः तद्नुसार प्रस्ताव है कि किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिये आधार सेवा संस्थान संस्था के साथ पाँच वर्षो का अनुबन्ध नियमानुसार किया जाए।

मा0 महापौर जी एवं नगर आयुक्त को संयुक्तरूप से अधिकृत किये जाने वाले प्रस्ताव को मा0 कार्यकारिणी समिति / मा0 सदन के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

.... नियमानुसार कार्यवाही कराने की स्वीकृति प्रदान करते हुए सदन को अग्रसारित किया गया

टेबुल प्रस्ताव संख्या–449

नगर आयुक्त द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित पर विचार किया जाना

पत्रांक 170 / 3 / प दिनांक– 02.05.2022

कानपुर नगर निगम स्थित चाचा नेहरू अस्पताल, कोपरगंज में रिक्त भूमि पर बी0ओ0टी0 के अन्तर्गत एक शापिंग काम्पलेक्स के निर्माण एवं दुकानों के आवंटन हेतु मा0 महापौर जी एवं नगर आयुक्त को समस्त निर्णय हेतु अधिकृत किये जाने का प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति / मा0 सदन के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

.... नियमानुसार कार्यवाही कराने की स्वीकृति प्रदान करते हुए सदन को अग्रसारित किया गया।

टेबुल प्रस्ताव संख्या–450

नगर आयुक्त द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित पर विचार किया जाना

नगर निगम सीमान्तर्गत जोन–4 स्थित पालिका स्टेडियम के संचालन एवं रखरखाव के सम्बन्ध में मा0 महापौर जी एवं नगर आयुक्त को समस्त निर्णय हेतु संयुक्तरूप से अधिकृत किये जाने का प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति / मा0 सदन के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

.... नियमानुसार कार्यवाही कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

टेबुल प्रस्ताव संख्या– 451

नगर आयुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया जाना

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन रूल्स–2016 के अन्तर्गत कानपुर नगर निगम सीमान्तर्गत आने वाले क्षेत्र के अन्तर्गत जनता / निवासियों द्वारा कूड़े को फेंकने एवं जलाने पर नगर निगम में कार्यरत सफाई एवं खाद्य निरीक्षको के द्वारा जोनल स्वच्छता अधिकारी के माध्यम से चालाने किये जाते है, जिसका विरोध क्षेत्रीय जनता / निवासियों के द्वारा किया जाता है।

अतः इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन रूल्स–2016 के अन्तर्गत चालान कार्यवाही सुचारू रूप से लागू किये जाने हेतु एक टास्क फोर्स टीम का गठन किये जाने हेतु हेतु कार्यकारिणी / सदन के समक्ष प्रस्ताव सादर प्रेषित है।

...........तद्नुसार स्वीकृति प्रदान करते हुए सदन को अग्रसारित किया गया।

टेबुल प्रस्ताव संख्या– 452

जैसी की आपको ज्ञात है कि कानपुर के नागरिक प्राईवेट स्कूलो से परेशान है जहां करोना जैसी बीमारी में भी पूरी फीस ली गयी ड्रेस से लेकर कापी किताब तक बेचने का कार्य विद्यालय के द्वारा ही किया जा रहा है यदि कोई सम्मानित व्यक्ति अगर किसी की फीस कम करने की कार्यवाही करता है तो उसके साथ भी दुर्व्यवहार करते है नियम है कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलो का टैक्स मॉफ है प्राईवेट वाले मोटी फीस वसूल रहे है हमारी लोगो से मॉंग की प्राईवेट स्कूलों को टैक्स के दायरे में लाया जाये जो शहरवासियों व नगर निगम के हित में होगा।

सभापति ने कहा कि कानपुर महानगर स्थित सभी मान्यताप्राप्त तथा गैर मान्यताप्राप्त स्कूलों की तालिका प्राप्त कर ली जाये, तद्नुसार कार्यवाही करायी जाये।

.... कानपुर महानगर स्थित सभी मान्यता प्राप्त तथा गैर मान्यताप्राप्त स्कूलों की तालिका प्राप्त कर अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

प्रस्ताव संख्या– 413

श्री मनोज कुमार राठौर,मा0 पार्षद वार्ड–39, टी0पी0 नगर एवं 06 अन्य मा0 पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो कि मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

मा0 महापौर एवं मा0 कार्यकारिणी सदस्य के समक्ष प्रस्तुत,ढ़कना पुरवा में लगा नलकूप जो लगभग पाँच वर्ष से खराब है जिसकी वजह से लगभग 15 हजार लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा मा0 कार्यकारिणी को अवगत कराना यह नलकूप का कराने का कार्य कराने का आदेश करें।

जिससे इस गर्मी जो लोग पानी से परेशाान है उनको पानी मिल सके।

श्री नीरज गौड़, महाप्रबन्धक जल कल ने अवगत कराया कि प्रश्नगत स्थल पर जल निगम द्वारा 02 जोनल पम्पिंग स्टेशन बनाये गये है एवं वहॉं पर सभी कार्य जल निगम द्वारा कराये जाने है।

...........महाप्रबन्धक जलकल जॉच कराकर अगली कार्यकारिणी में आख्या प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव संख्या–414

श्री संजय यादव मा0 पार्षद वार्ड–23,मा0 पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो कि मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

विषयः–आवास विकास पनकी नहर छठ घाट का सुन्दरीकरण व स्व0 विजय यादव का नाम करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थल पर छठ पर प्रतिवर्ष हजारों श्रद्धालुओं का जमावाड़ा होता है इस वर्ष आपकी उपस्थिति में सुन्दरीकरण एवं "स्व0 विजय यादव घाट" नामकरण का अस्वासन दिया गया था।

कृपया जनहित में उपरोक्त कार्य कराने का कष्ट करें।

................तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव संख्या–415

श्री सुनील कुमार कनौजिया मा0 पार्षद वार्ड–14,मा0 पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो कि मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

कानपुर नगर निगम की सीमा के अन्तर्गत संचालित प्राइवेट स्कूल जो कि मलिन बस्ती में संचालित हिन्दी माध्यम स्कूल छोड़कर सभी स्कूल व्यवसायिक रूप से संचालित है और ये भी व्यवसायिक लाभ कमाने के बाद भी नगर निगम को भवन कर का भुगतान भी नहीं करते है।

आपसे निवेदन है कि सभी अंग्रेज़ी माध्यम के प्राइवेट स्कूल व हिन्दी माध्यम 300 छात्रो के ऊपर की संख्या वाले प्राइवेट स्कूलों पर व्यवसायिक गृहकर निर्धारण करने का प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी में स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करे।

................प्रस्ताव संख्या–412 में निर्णय लिया जा चुका है।

प्रस्ताव संख्या– 416

श्री संजय यादव मा0 पार्षद वार्ड–23 ,द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो कि मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत

विषयः–वार्डः– 23 आवास विकास–3 में छठ पूजा नहर पर कर्मकाण्ड स्थल छत बनाये जाने हेतु।

वार्ड–23 आवास विकास–3 में आवासीय लोगों मृत्यु उपरांत कर्मकाण्ड के लिये छठ पूजा नहर जाते हैं जिसमें कोई छत नहीं है इस लिये वहां पर कर्मकाण्ड स्थल बनाये जाने हेतु अति आवश्क है।

.............तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव संख्या–417

श्री आशुमेन्द्र प्रताप सिंह 'संजय' मीडिया प्रभारी/पूर्व पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो कि मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

मेरा प्रस्ताव कि वर्ष 2000 में अतिक्रमण हटाओं अभियान में जोन–5 वार्ड 20 के अर्न्तगत जच्चा–बच्चा एंव आयुर्वेदिक नसीमाबाद अस्पताल कालपी रोड के बाहर टिनशेड आदि डाले हुये दुकान बनाकर अपना जीविकोपार्जन कर रहे लोगो को विस्थापित कर दिया गया था। जिनके पुर्नस्थापना हेतु तत्कालीन सदन व कार्यकारिणी द्वारा उक्त विस्थापितों को पुर्नस्थापित किये जाने के लिए नसीमाबाद अस्पताल में 11 दुकानें/भूखण्ड बनाने हेतु आवेदन मांगे थे जिसके फलस्वरूप उक्त योजना में विस्थापित लोगों द्वारा भूखण्डो को आवंटन हेतु पंजीकरण राशि 12000 रू0 की जमा की गयी थी । जो कि अनेकों विस्थापितों की आज भी पंजीकरण धनराशि जमा है और वापस नहीं ली गयी है।

अतः कार्यकारिणी समिति निर्णय लेती है कि उक्त योजना में दुकान/भूखण्ड देकर विस्थापितों की जमा धनराशि समायोजित करते हुए वर्तमान सर्किल रेट पर प्राथमिकता से जिनकी धनराशि अभी तक जमा है

नगर आयुक्त द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित पर विचार किया जाना

नगर आयुक्त कार्यालय के पत्र संख्या 167/3/प दिनांक 02.05.2022 के अन्तर्गत सूचनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रेषित

नगर निगम सीमान्तर्गत जोन–1 स्थित नवीन मार्केट की दुकानों के किराये में पूर्व में जिलाधिकारी सर्किल दर में 50 प्रतिशत की कमी की जा चुकी है। इसके बावजूद किराये में अतिरिक्त छूट दिये जाने के सम्बन्ध में मा0 महापौर जी एवं नगर आयुक्त को संयुक्तरूप से निर्णय लिये जाने के सम्बन्ध में अधिकृत किये जाने का प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति/ मा0 सदन के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

.... नियमानुसार कार्यवाही कराने की स्वीकृति प्रदान करते हुए सदन को अग्रसारित किया गया।

टेबुल प्रस्ताव संख्या–447

नगर आयुक्त द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित पर विचार किया जाना

नगर आयुक्त कार्यालय के पत्र संख्या 169//3/प दिनांक 02.05.2022 के अन्तर्गत सूचनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रेषित

शासन द्वारा नामित संस्था आई0टी0आई0 लिमिटेड द्वारा कानपुर नगर निगम सीमान्तर्गत स्थित समस्त आवासीय, अनावासीय एवं मिश्रित सम्पत्तियों के सर्वे का कार्य किया जा रहा है। आई0टी0आई0 लि0 संस्था द्वारा जिन वार्डो का सर्वेक्षण पूर्ण किया गया है अथवा भविष्य में पूर्ण किया जायेगा, में सम्बन्धित जोन के जोनल अधिकारी द्वारा सन्तोषजनक कार्य की रिपोर्ट/प्रमाणपत्र दिये जाने के उपरान्त उन वार्डो की समस्त सम्पत्तियों के कर निर्धारण एवं गृहकर लगाये जाने हेतु प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति/ मा0 सदन के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

.... आई0टी0आई0 लिमिटेड द्वारा किये गये सर्वे का सत्यापन कराने के पश्चात् ही सम्पत्तियों के कर निर्धारण कराने हेतु नगर आयुक्त को अधिकृत करते हुए सदन को अग्रसारित किया गया।

टेबुल प्रस्ताव संख्या–448

नगर आयुक्त द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित पर विचार किया जाना

नगर आयुक्त कार्यालय के पत्र संख्या 168/3/प दिनांक 02.05.2022 के अन्तर्गत सूचनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रेषित

नगर निगम सीमान्तर्गत जोन–3 के–ब्लॉक किदवई नगर स्थित मिक्की हाउस, जिसका अनुबन्ध वर्ष 2021 मे समाप्त हो चुका है, के द्वारा दिये गये आवेदन पत्र एवं शर्तो के आधार पर पुनः आंवटन किये जाने का अनुरोध किया गया है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि उक्त संस्था द्वारा पूर्व में नगर निगम के साथ किये गये अनुबन्ध की शर्तो का पालन नही किया गया है। मिक्की हाउस के सम्बन्ध में समस्त निर्णय लिये जाने हेतु

में परिवर्तन/परिवर्धन किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त कुछ दुकानों पर मूल आवंटियों के स्थान पर शिकमी किरायेदार काबिज है।

तद्क्रम में ऐसी समस्त दुकानों के सम्बन्ध में मा0 महापौर जी एवं नगर आयुक्त को संयुक्तरूप से नई दरों एवं नये नियम–शर्तो पर निर्णय लिये जाने हेतु अधिकृत किये जाने का प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति/मा0 सदन के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

..................प्रस्ताव संख्या– 425 में निर्णय लिया जा चुका है।

टेबुल प्रस्ताव संख्या–444

नगर आयुक्त द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित पर विचार किया जाना

नगर आयुक्त कार्यालय के पत्र संख्या 165/3/प दिनांक 02.05.2022 के अन्तर्गत सूचनार्थ /अनुमोदनार्थ प्रेषित

नगर निगम सीमान्तर्गत जोन– 4 के अन्तर्गत स्थित नगर निगम रैना मार्केट की दुकानें, जोकि काफी समय पूर्व आवंटित की गई थी, के सर्वेक्षण/जॉच के दौरान पाया गया कि उनमें से कई दुकानों में परिवर्तन/परिवर्धन किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त कुछ दुकानों पर मूल आवंटियों के स्थान पर शिकमी किरायेदार काबिज है।

तद्क्रम में ऐसी समस्त दुकानों के सम्बन्ध में मा0 महापौर जी एवं नगर आयुक्त को संयुक्तरूप से नई दरों एवं नये नियम–शर्तो पर निर्णय लिये जाने हेतु अधिकृत किये जाने का प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति/मा0 सदन के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

............तद्नुसार जॉच कर अगली कार्यकारिणी में प्रस्तुत करें।

टेबुल प्रस्ताव संख्या –445

नगर आयुक्त द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित पर विचार किया जाना

नगर आयुक्त कार्यालय के पत्र संख्या 166/3/प दिनांक 02.05.2022 के अन्तर्गत सूचनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रेषित

नगर निगम सीमान्तर्गत जोन– 4 के अन्तर्गत मोतीझील परिसर में स्थित कारगिल पार्क के सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन को बढाये जाने हेतु कारगिल पार्क में स्थापित दोनों झीलों में नौका/पैडल बोटों के संचालन एवं दरें निर्धारित करने हेतु निर्णय लिये जाने के सम्बन्ध में मा0 महापौर जी एवं नगर आयुक्त को संयुक्तरूप से अधिकृत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति/ मा0 सदन के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

.... नियमानुसार कार्यवाही कराने की स्वीकृति प्रदान करते हुए सदन को अग्रसारित किया गया।

टेबुल प्रस्ताव संख्या–446

उनको भूखण्ड/दुकान आवंटित कर दी जाये जिससे विस्थापितों को जीवन यापन चल सके और नगर निगम को आय भी हो सकें। आवटीयों को भूखण्ड काटकर दे दिया जाये दुकान का निर्माण स्वंय आवटी करायेगा।

...........जॉच कराकर अगली कार्यकारिणी में प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव संख्या– 418

श्री अवनीश खन्ना ,मा0 पार्षद वार्ड–10 बेनाझावर सदस्य कार्यकारिणी समिति मा0 पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो कि मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

स्व0 कै0 बृजमोहन तिवारी स्वतन्त्रता सेनानी थे अतः आपसे अनुरोध है कि इनके नाम से सड़क का नाम करने का कष्ट करें।

.... परीक्षण करा लें यदि पूर्व से संदर्भित सड़क/मार्ग का कोई नामकरण नही है तो उपरोक्तानुसार नामकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रस्ताव संख्या– 419

श्री राजीव सेतिया मा0 पार्षद वार्ड–74 ,श्याम नगर, मा0 पार्षद सदस्य कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो कि मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

विषय :– श्याम नगर 150 फिट रोड मुख्य मार्ग का नाम हरिदास हरिहर धाम मार्ग कराने के सन्दर्भ में।

श्याम नगर मुख्य मार्ग का कोई भी नामकरण नहीं हुआ है हरिदास हरिहर धाम महाराज जी द्वारा श्याम नगर में निशुल्क शिक्षा, निशुल्क स्वास्थय, निशुल्क भोजन आदि के कई योजनायें चलायी जाती है और क्षेत्र में हजारो में अनुयायी रहते है अतः आपसे निवेदन है कि इस मार्ग का नामकरण उनके नाम से कर दिया जाये।

.... परीक्षण करा लें यदि पूर्व से संदर्भित सड़क/मार्ग का कोई नामकरण नही है तो उपरोक्तानुसार नामकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रस्ताव संख्या– 420

श्री सुमित कुमार पाल मा0 पार्षद वार्ड–53, सरायमीता पनकी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो कि मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

विषयः–पानी की मेन लाईन शिफ्टिंग हेतु सेतु निगम को निर्देशित करने के सम्बन्ध में।

भाटिया होटल तिराहे से पनकी मन्दिर रोड पर क्रांसिग के पास सेतु निगम द्वारा फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। सेतु निगम द्वारा पिलरो को पाईप लाईन के ऊपर बना दिये जाने से पानी की लाईन क्षतिग्रस्त हो गयी है। इससे वहॉ के लोगो के लिये समस्या हो रही है। पानी की सप्लाई D, E, F ब्लाक के लोग प्रभावित हो रहे है एवं भविष्य में पुल को भी खतरा है।

कृपया जनहित में पाईप लाईन शिफ्टि कराने हेतु सेतु निगम को निर्देशित करने का कष्ट करें।

महाप्रबन्धक जलकल ने अवगत कराया कि सन्दर्भित पर सेतु निगम को पूर्व में पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

.... **सेतु निगम से प्राप्त आख्या के अनुसार कार्यवाही कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी।**

प्रस्ताव संख्या– 421

श्रीमती कविता सिंह मा0 पार्षद वार्ड–25 ,नवीन नगर काकादेव मा0 पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो कि मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

विषयः– नगर निगम भूमि पर लगाये गये दूर सॅचार टॉवरो की वैधानिकता एवं शुल्क लेने तथा ब्राडबैण्ड ,डिश केवल आदि तारों पर यूजर चार्ज के संबंध में।

विभिन्न दूर संचार कम्पनियों ने नगर निगम परिसर समेत पूरे शहर में फुटपाथ एवं नगर निगम भूमि पर दूर संचार टॉवर लगे रखे है जिसके एवज में कम्पनियॉ अन्धाधुंध कमाई करती है परन्तु उसका कोई समुचित लाभ नगर निगम को नहीं मिलता । एक अनुमति की आड़ में कई अवैध टॉवर भी स्थापित किये गये है। इसी प्रकार पूरे शहर में नगर निगम एवं बिजली के पोल पर ब्राडबैण्ड एवं डिश केवल डालकर अतिक्रमण किया गया हैं । इसके एवज में नगर निगम को कोई शुल्क नहीं मिलता।

इस सम्बन्ध में नगर निगम अधिनियम एवं शासनादेश संख्याः 72/नौ–9–2018–16/ज/12 दिनांक 08 फरवरी 2018 की नगर निगम को शुल्क लेने की शक्ति देता हैं।

इस हेतु पूर्व में भी पंत्राक KNN/21-22/32 दिनांक 06.03.21 के माध्यम से कार्यकारिणी हेतु प्रस्ताव दिया गया था परन्तु नगर निगम में कार्यरत दूर संचार कम्पनियों से अवैध वसूली करने वाले लोगों ने उक्त प्रस्ताव को कार्यकारिणी में प्रस्तुत नहीं होने दिया। अतः पुनः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव को नगर निगम की आगामी कार्यकारिणी में पटल पर रखने की अनुमति दे।

श्री अभिषेक गुप्ता ने कहा कि सभी राजस्व जोनों से सूची प्राप्त कर तद्नुसार कार्यवाही की जाये।

...........**तद्नुसार अगली कार्यकारिणी में प्रस्तुत करें।**

प्रस्ताव संख्या– 422

श्री शशी कान्त त्रिपाठी,अध्यक्ष,जनता जन कल्याण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो कि मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

विषय :– जनता नगर पुलिस चौकी के पीछे स्थित (वार्ड–34) जोन 5 पार्क का नामकरण : भगवान श्री राम लखन जनता पार्क'किये जाने के सम्बन्ध में।

उक्त पार्क पिछले 40 वर्षो से उपेक्षित पड़ा रहा,वर्तमान में हमारी संस्था ने कानपुर नगर निगम के सहयोग से उक्त पार्क को हरा–भरा कर दिया है। किन्तु अभी तक पार्क का कोई नाम नही है।

अतएव उक्त को दृश्टिगत रखते हुए नगर निगम विभागीय हित मे प्रस्तावित पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु शुल्क/दरो की स्वीकृति मा0 कार्यकारणी के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रेशित है।

.................**उपरोक्तानुसार ठेकेदारों के पंजीयन एवं नवीनीकरण हेतु प्रस्तावित श्रेणीवार दरों को स्वीकृति प्रदान करते हुए सदन को अग्रसारित किया गया।**

टेबुल प्रस्ताव संख्या–442

नगर आयुक्त द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित पर विचार किया जाना

नगर आयुक्त कार्यालय के पत्र संख्या 158/3/प दिनांक 30.04.2022 को अधिनियम– 1959 की धारा–179 के अन्तर्गत सूचनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रेषित

नगर निगम सीमान्तर्गत श्रम विभाग की श्रमिक कालोनियों में रहने वाले मूल आवंटियों/अध्यासियों/शिकमी किरायेदारों से गृहकर की वसूली हेतु श्रम विभाग से अनेक पत्राचार किये गये , जिसके क्रम में प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश सं0–4395/पी0एस0एल0/2013 दिनांक 08, जुलाई 2013 एवं 1528/36–4–2013 दिनांक 15, जुलाई 2013 द्वारा स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि " कानपुर मे कई उद्योग बन्द होने से इन आवासों में रहने वाले लोग मूल आवंटी नही रहे तथा इनके स्थान पर उनके मृतक आश्रित, वारिसान तथा बहुत से लोग शिकमी किरायेदार के रूप में रहने लगे, जिनमें से कुछ धनाड्य लोग भी शामिल है। श्रम विभाग द्वारा इतना कम किराया लिया जाता है जिससे गृहकर जमा नही कर सकता है तथा इसके लिये बजट में कोई प्राविधान नही हैं। उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा–179 की व्यवस्थानुसार गृह कर की वसूली रह रहें आक्यूपायर से ही करने का कष्ट करें।"

अतः प्रमुख सचिव,श्रम विभाग द्वारा निर्गत उपरोक्त दोनों शासनादेशों एवं नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा–179 में व्यवस्थानुसार वर्तमान मे श्रम विभाग की कालोनियों में रह रहे अध्यासियों(आक्यूपायरों) से उनपर बकाया गृहकर मय ब्याज एवं चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 का सामान्य कर वसूली का अलग–अलग कर निर्धारण एवं उनकी रसीद श्रम विभाग द्वारा काबिज अध्यासी के नाम से निर्गत किये जाने का प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के स्वीकृतार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

.....................**उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के क्रम में गृह–कर निर्धारण एवं वसूली हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुए सदन को अग्रसारित किया गया।**

टेबुल प्रस्ताव संख्या–443

नगर आयुक्त द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित पर विचार किया जाना

नगर आयुक्त कार्यालय के पत्र संख्या 164/3/प दिनांक 02.05.2022 के अन्तर्गत सूचनार्थ /अनुमोदनार्थ प्रेषित

नगर निगम सीमान्तर्गत जोन– 5 के अन्तर्गत स्थित नगर निगम दबौली की 12 फीट ऊची दुकानों, जोकि काफी समय पूर्व आवंटित की गई थी, के सर्वेक्षण/जॉच के दौरान पाया गया कि उनमें से कई दुकानों

कृपया मुझे जागेश्वर अस्पताल मे कार्य करने की स्वीकृति कार्यकारिणी से करने की कृपा करे। मुझसे जो भी सहयोग होगा अस्पताल के लिये करूंगी।

..................निरस्त किया गया।

प्रस्ताव संख्या– 440

श्री कमल शुक्ला (बेबी), मा0 पार्षद वार्ड सं0–61, तिलक नगर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो कि मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

पालिका स्टेडियम में गरीब–दलित बच्चों को क्रिकेट प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु श्री रवि सागर जी को बूंद सेवा संस्थान के अर्न्तगत प्रतिदिन 02 घण्टे का समय प्रदान करने का कष्ट करें।

....................तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।

सभापति को निम्नलिखित प्रस्ताव हस्तगत (टेबुल) किये गये।

टेबुल प्रस्ताव संख्या –441

नगर आयुक्त द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित पर विचार किया जाना

नगर आयुक्त के पत्र संख्या–डी/59/मु0अ0 दिनांक 02.05.2022 को नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत मा0 कार्यकारणी के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रेशित ।

कानपुर नगर निगम के अन्तर्गत ठेकेदारी में पंजीकरण/नवीनीकरण की दरे अन्य नगर निगमों के अपेक्षा काफी कम है। वर्तमान में चल रही ठेकेदारी पंजीकरण/नवीनीकरण की दरे 2013 मे पुनः निर्धारित की गयी थी 09 वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त दरो का पुनः निर्धारण किया जाना विभागीय हित में समीचीन है। दरो का निर्धारण निम्नवत् हैः–

क्र0	श्रेणी	वर्तमानमेंपंजीकरण /नवीनीकरण की दरे	प्रस्तावित पंजीकरण दरें	प्रस्तावित नवीनीकरण दरें
01	सुपर ए हाटमिक्स प्लान्ट धारक	5000.00	50000.00	20000.00
02	सुपर ए	2500.00	25000.00	15000.00
03	ए	1500.00	15000.00	10000.00
04	बी	500.00	10000.00	5000.00
05	सी	300.00	8000.00	3000.00

महोदया,आप से प्रार्थना है कि भगवान श्री राम लखन को अपना आर्दश मानते हुए हमारी संस्था ने पार्क का नामकरण 'श्री राम लखन जनता पार्क' करने का निर्णय लिया है।

अस्तु आप से प्रार्थना है कि पार्क का नामकरण 'श्री राम लखन जनता पार्क' करने की कृपा करें।

.... तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव संख्या– 423

श्री मदन बाबू मा0 पार्षद वार्ड–13, पुराना कानपुर एव अन्य 04 अन्य मा0 पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो कि मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

विषयः– रानी घाट में छठ घाट एवं स्नान घाट बनाये जाने के स्वीकृति के सम्बंध में।

रानी घाट गंगा तक के किनारे छठ घाट एवं स्नान घाट की अति आवश्यकता है। छठ व अन्य पर्व पर हजारों की संख्या में कानपुर शहर के कोने–कोने से लोग छठ पूजा व गंगा स्नान करने आते है।

उक्त प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी में स्वीकृत कराने की कृपा करें।

..............तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव संख्या–424

श्री रमेश चन्द्र हठी, मा0 पार्षद वार्ड–01, लक्ष्मीपुरवा एवं 04 अन्य मा0 पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो कि मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

अवगत कराना है कि साथी पार्षद स्व0 रमेश वाजपेई (बब्लू) वार्ड–32, रायपुरवा कानपुर नगर के नाम से अखाड़े वाला चौराहा गर्ग रोड चौराहे का नामकरण करते हुए चौराहे का सुंदरीकरण हेतु प्रस्ताव पास करने की कृपा करें।

.... परीक्षण करा लें यदि पूर्व से संदर्भित सड़क/मार्ग का कोई नामकरण नही है तो उपरोक्तानुसार नामकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रस्ताव संख्या– 425

श्री रमेश चन्द्र हठी, मा0 पार्षद वार्ड–01, द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो कि मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

विषयः– दुकान हेतु 9.9 वर्ग गज के अनावासीय भूखण्ड पर 12 फीट के पश्चात् अवैध निर्माण तथा आवंटन के सम्बन्ध में।

नगर निगम द्वारा कानपुर शहर के प्रत्येक जोनों में दुकान निर्माण हेतु 90 वर्ष की अवधि के लिए 9.9 वर्गगज के अनावासीय भूखण्डों को पट्टे पर, किराये पर दिया गया था, जिसमें शर्त के अनुसार दुकानों का निर्माण 12 फीट की ऊँचाई तक किया जायेगा, परन्तु मौके पर स्थितियों में 03–03 मंजिला आवासीय भूखण्ड का निर्माण हो चुका है। जिससे भविष्य में अप्रिय घटना भी घटित हो सकती है।

इस दशा में अन्य शहरों की भॉति कानपुर महानगर में भी 12 फीट भूतल के बाद अवैध निर्माण पर निर्णय लिया जाना समीचीन होगा।

अतएव नगर निगम द्वारा कानपुर शहर में दुकान हेतु 9.9 वर्गगज के अनावासीय भूखण्डों जिनमें 12 फीट की ऊँचाई के उपरान्त जो स्थान शेष है,उसे पट्टे पर दिये जाने तथा जो अवैध रूप से काबिज है,उनका निस्तारण किये जाने हेतु मा0 कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्ताव स्वीकृत्यर्थ प्रस्तुत है।

सभापति ने कहा कि मेरे द्वारा निरीक्षण के समय संज्ञान में आया कि विजय नगर में फुटपाथ पर ए0टी0एम0 लगा है, जिसका लगभग रूपया 50 हजार किराया भी दुकानदार द्वारा लिया जा रहा है, परन्तु नगर निगम को दुकान का किराया मात्र रू0 2300/– वार्षिक प्राप्त हो रहा है। फुटपाथ पर ए0टी0एम0 कैसे लग गया, बैंक द्वारा बिना जमीन के कागजात परीक्षण कराये कैसे ए0टी0एम0 स्थापित कर दिया गया, ए0टी0एम0 के लिये बिजली का कनेक्शन कैसे प्राप्त किया गया ? कही कही अन्डरग्राउन्ड के अन्दर अंडरग्राउन्ड दुकाने बनी है, इसका दोषी कौन है, दायित्व निर्धारण के साथ कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

............तद्नुसार जॉच कर अगली कार्यकारिणी में प्रस्तुत करें।

<u>प्रस्ताव संख्या– 426</u>

श्रीमती निर्मला मिश्रा मा0 पार्षद वार्ड–27, नानकारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो कि मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

विषय–<u>वार्ड–27 में सुअरो का अभियान चला कर वार्ड से बाहर करने के सम्बंध में।</u>

समस्त क्षेत्रवासी सुअरों के आतंक से परेशान है।

कृपया जल्द से जल्द पकड़वाने की व्यवस्था करने की कृपा करें।

सभापति ने कहा कि नगर निगम द्वारा संचालित किसी भी प्रकार के अभियान में क्षेत्रीय पार्षदो का सहयोग अपेक्षित है, क्योंकि जूही परमपुरवा क्षेत्र में सुअर पकड़ने के दौरान प्रर्वतन दल के एक कर्मी के सिर पर क्षेत्रीय जनता के प्रतिघात के कारण उसकी जान जाते–जाते बची। अतः क्षेत्रीय पार्षद सुअर पकड़ने के अभियान में सहयोग प्रदान करें।

.............तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।

<u>प्रस्ताव संख्या–427</u>

श्री मनोज कुमार राठौर मा0 पार्षद वार्ड–39, ट्रान्सपोर्ट नगर एवं 02 अन्य पार्षद <u>द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव</u> जो कि मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

घंटाघर से मालरोड जाने वाली रोड स्थित 71/1 तेलियाना रोड का नाम वीर <u>दुर्गावास</u> राठौर मार्ग किया जाना चाहिए चूंकि उक्त स्थान के आसपास राठौर जाति की आबादी बहुतयात है कानपुर महानगर में राठौर समाज के लिए भी बहुत आवश्यक है सर्वसम्मत से पास करने की कृपा करें।

.... परीक्षण करा लें यदि पूर्व से संदर्भित चौराहे का कोई नामकरण नही है तो उपरोक्तानुसार नामकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है।

<u>प्रस्ताव संख्या– 437</u>

श्री प्रशान्त शुक्ला,मा0 पार्षद वार्ड सं0–95, यशोदा नगर पश्चिमी, सदस्य मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो कि मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

विषयः– <u>प्रत्येक पार्षदों को 15–15 एल0ई0डी0 लाईटें जनहित में दिये जाने के सम्बन्ध में।</u>

कानपुर के समस्त वार्डो में विकास के काफी कार्य कराये गये है। उसी क्रम में सभी वार्डो में विद्युतीकरण का कार्य भी हुआ है, क्षेत्र में विकास की दृष्टि से जनता के लिये मार्ग प्रकाश की व्यवस्था करना अति आवश्यक है।

अतएव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रत्येक पार्षद को 15–15 एल0ई0डी0 लाईटे जनहित में दिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत्यर्थ प्रस्तुत है।

...........तद्नुसार स्वीकृति प्रदान करते हुए सदन को अग्रसारित किया गया।

<u>प्रस्ताव संख्या– 438</u>

श्री नवीन पंडित, मा0 पार्षद वार्ड सं0–93, गोविन्द नगर उत्तरी, पूर्व उप सभापति मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो कि मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

विषयः–<u>जूही हमीरपुर रोड का नाम सोनेलाल पटेल मार्ग किए जाने के सम्बंध में।</u>

सोने लाल पटेल जी अपना दल के संस्थापक थे और उन्होंने कुर्मीयों को जागरूक करने का कार्य किया उनका जूही के पास 2 बीघें का प्लॉट है जिस पर कार्यालय बना है और जूही नहरिया पर सोने लाल पटेल पब्लिक स्कूल भी है उन्होंने अपना बहुमूल्य समय यही पर बिताया और अब उनका निधन हो गया है अब अपना दल–भाजपा की सहयोगी पार्टी है और उनकी बेटी अनुप्रिया पटेल जी भाजपा सरकार में मंत्री भी है उनके परिवार ने इच्छा जाहिर की है जूही हमीरपुर रोड का नाम सोनेलाल पटेल मार्ग कर दिया जाए। अतः महोदया जी से निवेदन है कि जूही हमीरपुर रोड का नाम सोनेलाल पटेल मार्ग करने की स्वीकृति कार्यकारिणी से करने का कष्ट करें।

.... परीक्षण करा लें यदि पूर्व से संदर्भित सड़क/मार्ग का कोई नामकरण नही है तो उपरोक्तानुसार नामकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है।

<u>प्रस्ताव संख्या– 439</u>

डा0 रोजी रहेजा,एम0डी0एस0 दन्त चिकित्सक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो कि मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

मै गोविन्द नगर स्थित जागेश्वर अस्पताल मे दन्त चिकित्सक के रूप में अपना योगदान देना चाहती हूँ यह कार्य पहले भी मैने पूरी निष्ठा के साथ चाचा नेहरू अस्पताल में निभाया था।

जागेश्वर अस्पताल मे दंत परीक्षण व अन्य दंत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता को देखते हुए मै अपना पूर्ण योगदान देना चाहती हूँ।

कर्मियों को अतिरिक्त पारिश्रमिक भी दिया जाता है साथ ही यह भी बताया कि डूडा से 187 सफाई कर्मी एवं 172 सफाई कर्मी वार्डो से लेकर संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। प्रमुख बाजारों की रात्रि कालीन सफाई भी करायी जा रही है।

............सन्दर्भित पर परीक्षण कराते हुए तद्नुसार कार्यवाही कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव संख्या–435

श्री प्रशान्त शुक्ला,मा0 पार्षद वार्ड सं0–95, यशोदा नगर पश्चिमी, सदस्य मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो कि मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

विषयः– प्रत्येक पार्षदो को 15–15 लाख रूपये विकास कार्य के लिये निधि दिये जाने के सम्बन्ध में।

कानपुर नगर का काफी विस्तार हो चुका है, जिसमें कानपुर महानगर के समस्त वार्डो में आपके द्वारा काफी विकास कार्य कराया गया है, परन्तु बढ़ती हुई जनसंख्या के दृष्टिगत वार्डो में विकास के कुछ महत्वपूर्ण कार्य शेष रह गये हैं। मेरा कार्यकारिणी समिति से अनुरोध है कि प्रत्येक पार्षदो को 15–15 लाख रूपये विकास कार्य के लिए निधि आवंटित की जाये।

अतएव प्रत्येक पार्षदो का 15–15 लाख रूपये विकास कार्य के लिये निधि आवंटित किये जाने का प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृत्यर्थ है।

सभापति ने नगर आयुक्त को निर्देशित करते हुए मुख्य अभियन्ता को आदेशित किया कि विभिन्न खंडो में तैयार की गयी रू0 2–2 लाख की धनराशि के कार्यो की पत्रावलियों को आज ही से रोक दिया जाये, जिससे उपरोक्तानुसार कार्य कराया जा सके।

......................तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही कराये जाने हेतु नगर आयुक्त को निर्देशित करते हुए सदन को अग्रसारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या–436

नगर आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित दिनांक 30.03.2022 एवं मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठाकिंत कार्यालय पत्र सं0 डी/535/अधि0अभि0/प्रो0/22–23 दिनांक 26.04.22 के द्वारा चेतना चौराहा का नामकरण करते हुए ''श्री के0के0 तिवारी चौराहा'' कराने का प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

श्रीमती/कु0 रूचि तिवारी, पुत्री के0के0 तिवारी, 36/1 कैलाश मंदिर शिवाला रोड कानपुर द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए यह अनुरोध किया गया है कि इनके पिता श्री के0के0 तिवारी एक अच्छे समाज सेवी के रूप में कार्य करते हुए कानपुर शहर में एक अच्छी अलग पहचान बनाई गयी है एवं कांग्रेस के पी0सी0सी0 सदस्य, शहर कांग्रेस, कानपुर के रूप मे निर्विवाद रूप से सेवायें प्रदान की गयी है, जिनके नाम पर चेतना चौराहा का नामकरण करते हुए ''श्री के0के0 तिवारी चौराहा'' कराने का प्रस्ताव देते हुए चौक बनवाने की अनुमति चाही गयी है।

.... परीक्षण करा लें यदि पूर्व से संदर्भित सड़क/मार्ग का कोई नामकरण नही है तो उपरोक्तानुसार नामकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रस्ताव संख्या–428

श्री विकास जायसवाल मा0 पार्षद वार्ड–79, द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो कि मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

विषयः– गृह–कर से छूटे भवनों को निरीक्षण कराकर गृह–कर के दायरे में लाये जाने के सम्बंध में।

कानपुर नगर का काफी विस्तार हो चुका है,जिसमें कानपुर विकास प्राधिकरण,आवास विकास द्वारा विकसित की गयी कालोनियों के साथ कई प्राइवेट सोसाइटियों द्वारा कृषि भूमि को आवासीय में परिवर्तित कर प्लाट विक्रय किये गये है,उक्त में कई आवासीय एवं अनावासीय सम्पत्तियों भी है,जिसमें कई पर गृह कर अधिरोपित नहीं हुआ है। उक्त के साथ शहर में श्रम विभाग की कालोनियॉ है। यदि नई विकसित कालोनियों ,सोसाइटियों ,श्रम विभाग की कालोनियों पर निरीक्षण कराकर गृह–कर अधिरोपित किया जाता है,तो नगर निगम की आय में काफी वृद्वि होगी।

नगर आयुक्त ने कहा कि शासनादेश के अनुसार अभी तक श्रम कॉलोनियों से हाउस टैक्स नही लिया गया, केवल सीवर कर, जल कल लिया जाता रहा हैं। अतः प्रश्नगत प्रस्ताव के सापेक्ष शासन को पत्र प्रेषित करते हुए निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही करायी जायेगी।

.... नगर आयुक्त को तदनसार शासन को शीघ्र पत्र प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया ।

प्रस्ताव संख्या–429

श्रीमती निर्मला मिश्रा मा0 पार्षद वार्ड–27, नानकारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो कि मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

विषयः– वार्ड–27 नानकारी गोवा गार्डेन आ0 52 लगभग 500 वर्गगज खाली नगर निगम की भूमि पर मार्केट के निर्माण के सम्बन्ध में।

खाली जमीन पड़ी है। उसमें चारो तरफ दुकानें तथा अन्दर पार्क का रूप दे दिया जायें जनहित में सुन्दरता तथा बैठने उठने घूमने का समस्त क्षेत्रवासियों को इसका लाभ मिल सकता हैं।

.............कानपुर महानगर के अन्तर्गत प्रत्येक वार्ड में नगर निगम की रिक्त पड़ी भूमि का चिन्हांकन करते हुये तद्नुसार संकलित तालिका के अनुसार परीक्षण कर बारातशाला एवं दुकानों के निर्माण कराये जाने की कार्यवाही हेतु अगली कार्यकारिणी समिति में प्रस्तुत किया जाये।

प्रस्ताव संख्या–430

श्री मनोज कुमार राठौर मा0 पार्षद वार्ड–39, ट्रान्सपोर्ट नगर एवं 02 अन्य पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो कि मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

जोन–3 म्यूजिकल फाउन्टेन के बाहर फूड जोन बनाया जाना था किन्तु फूड जोन के लिये टायल्स,ग्रिल आदि तो बनकर तैयार है लेकिन कोई योजना बद्ध तरीके से फूड के स्थल वगैरह एलाट नहीं हुये है यदि फूड के काउन्टर एलाट कर दिये जायें तो नगर निगम की आय में बढ़ोत्तरी होगी।

...............**निरस्त किया गया।**

<u>प्रस्ताव संख्या–431</u>

श्री रमेश चन्द्र हठी, मा0 पार्षद वार्ड–01, लक्ष्मीपुरवा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो कि मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

मेरे वार्ड –1 के बगल के पार्षद स्व0 रमेश बाजपेई,वार्ड–32 रायपुरवा के पार्षद थे मैं चाहता हूँ पार्षद साथी का नाम उनके वार्ड–32 में आने वाली किसी रोड का नाम उनके नाम पर कर दिया जायें।

(1) अखाड़े के मोड़ से 87/178 तक का रोड ब्रम्हलीन रमेश बाजपेई (बब्लू) पार्षद वार्ड–32 रायपुरवा के नाम कराने की कृपा करें।

............**प्रश्नगत प्रस्ताव पर निर्णय लिया जा चुका है।**

<u>प्रस्ताव संख्या–432</u>

श्री मनोज कुमार राठौर मा0 पार्षद वार्ड–39, ट्रान्सपोर्ट नगर एवं 02 अन्य पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो कि मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

गर्मी प्रचण्ड रूप धारण किये है भूगर्भ जल स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है अतः कानपुर में हजारो <u>गाड़ी धुलाई केन्द्र</u> है जो कि जल का दोहन करके पानी की बर्बादी कर रहे है जहाँ एक ओर पीने का पानी के लिये जनता संघर्ष कर रही है वहीं दूसरी ओर उक्त धुलाई सर्विस स्टेशन से लाखों लीटर पानी रोज वर्बाद हो रहा है जलकल विभाग के समस्त J.E को निर्देशित किया जाये कि उक्त सर्विस सेन्टर तत्काल बन्द करायें जाये और जहाँ सर्विस स्टेशन चलते मिले उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाये।

महाप्रबन्धक जल कल ने अवगत कराया कि नये सबमर्सिबल पम्प लगाये जाने हेतु शासन द्वारा एक्ट बनाया गया है, जिसमें जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे भूगर्भ जल अभियन्ता इत्यादि सहित समिति के सदस्य है। सभी सबमर्सिबल पम्पों को स्थापित करने से समिति से अनुमति लेना अनिवार्य है।

श्री कैलाश चंद्र पाण्डेय, उपसभापति ने कहा कि प्रश्नगत एक्ट को समाचार पत्रों मे प्रचारित प्रसारित किया जाये, जिससे जनता भी जागरूक हो।

सभापति ने महाप्रबन्धक, जलकल को निर्देशित किया सबमर्सिबल पम्पों से गाड़ी धुलाई केन्द्र 04 माह तक बन्द कर दिये जाये, इसका सख्ती से पालन कराया जाये, जिससे भूगर्भ जल दोहन के साथ सड़के क्षतिग्रस्त होने से बचायी जा सके।

...........**तद्नुसार सबमर्सिबल पम्पों से गाड़ी धुलाई केन्द्र 04 माह तक बन्द करने की स्वीकृति प्रदान करते हुए सदन को अग्रसारित किया गया।**

<u>प्रस्ताव संख्या–433</u>

श्री प्रशान्त शुक्ला,मा0 पार्षद वार्ड सं0–95, यशोदा नगर पश्चिमी, सदस्य मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो कि मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।
विषयः–<u>जनहित में चौराहे के नामकरण का प्रस्ताव।</u>

कानपुर नगर का काफी विस्तार हो चुका है, जिसमें कानपुर दक्षिण यशोदा नगर में आपके द्वारा काफी विकास कार्य कराया गया है, ऐसे में कुछ मुख्य चौराहे जो जनता द्वारा आम बोल चाल में नाम प्रचलित है। उन्हें नगर निगम द्वारा अधिकारिक तौर पर नामकरण नही किया गया हैं, उनका नामकरण किया जाना है, जिनका विवरण निम्नवत हैः–

1. श्रीराम चौक ⟶ जो कि यशोदा नगर में उपासना गेस्ट चौराहे पर है।
2. राम जानकी चौराहा ⟶ जो कि यशोदा नगर में एस–ब्लाक एवं रविन्द्र नगर के मध्य में है।
3. परशुराम चौक ⟶ जो कि यशोदा नगर में शहनाई गेस्ट हाउस चौराहे है।
4. दक्षिणेश्वर महादेव चौराहा ⟶ जो कि यशोदा नगर में कामरेड टेन्ट हाउस चौराहे पर है।

अतएव उपरोक्त चौराहों का अधिकारिक तौर पर नामकरण का प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृत्यर्थ प्रस्तुत है।

.... **परीक्षण करा लें यदि पूर्व से संदर्भित चौक/चौराहा का कोई नामकरण नही है तो उपरोक्तानुसार नामकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

<u>प्रस्ताव संख्या–434</u>

श्री मनोज कुमार राठौर मा0 पार्षद वार्ड–39, ट्रान्सपोर्ट नगर एवं 02 अन्य पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो कि मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

पूर्व में सभी वार्डो में 5 सफाई कर्मी की नियुक्त होनें की बात उठी थी किन्तु कुछ वार्डो में ही कर्मचारी दिये गये है बाकी मेरे वार्ड–39 सहित तमाम वार्डो में 5 सफाई कर्मी नियुक्त नहीं किये गये है जिससे सफाई व्यवस्था ध्वस्त पड़ी है बीट खाली पड़ी है अतः तत्काल उक्त 5 सफाई कर्मचारियों की नियुक्त करवायी जाए।

श्री सौरभ देव ने कहा कि प्रत्येक वार्ड में 5–5 अतिरिक्त सफाई कर्मी उपलब्ध कराने का निर्णय सदन में लिया गया था, जिसका अनुपालन आज तक नही किया गया, जो सदन की अवमानना है।

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि नगर विकास के निर्देशानुसार 60 दिन का विशेष सफाई अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसमें अतिरिक्त सफाई कर्मियों की आवश्यकता होती है तथा अतिरिक्त सफाई